उत्तर प्रदेश राज्य में राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरक की नियुक्ति हेतु सूचना

1. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. (बीपीसीएल) एवं हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. (एचपीसीएल) उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित विभिन्न श्रेणियों से संबंध रखने वाले उम्मीदवारों में से नीचे दिए गए स्थानों पर अलग–अलग श्रेणियों के अन्तर्गत राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरक (आरजीजीएलवी) की नियुक्ति करने का प्रस्ताव करते हैं:

क्र. सं.	तेल कंपनी	आरजीजीएलवी स्थान का नाम (कस्बा / गांव)	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील का नाम	जिला	श्रेणी**
1	बीपीसी	बाबरी	बाबरी	शामली	शामली	एससी
2	बीपीसी	बंछावली	बंछावली	सिकंदराबाद	बुलन्दशहर	एससी
3	बीपीसी	ककोड	ककोड	सिकंदराबाद	बुलन्दशहर	एससी
4	बीपीसी	गांगरोल	गांगरोल	सिकंदराबाद	बुलन्दशहर	ओ
5	बीपीसी	थापखेड़ा	थापखेड़ा	दादरी	गौतम बुद्ध नगर	ओ (सीसी)
6	बीपीसी	बहेड़ी बृहमनान	बहेड़ी बृहमनान	ठाकुरद्वारा	मुरादाबाद	ओबीसी
7	बीपीसी	धर्मपुर कलां	धर्मपुर कलां	बिलारी	मुरादाबाद	ओबीसी
8	बीपीसी	पीपली नायक	पीपली नायक	टाण्डा	रामपुर	ओबीसी
9	बीपीसी	पाठकपुर	पाठकपुर	चन्दौसी	सम्भल	ओबीसी
10	बीपीसी	रिठौरी	रिठौरी	दादरी	गौतम बुद्ध नगर	ओ
11	बीपीसी	सिकरोहर	सिकरोहर	अकबरपुर	अम्बेडकर नगर	एससी
12	बीपीसी	रामपुर ग्रिटं	रामपुर ग्रिटं	उतरौला	बलरामपुर	एससी
13	बीपीसी	अरथर	अरथर	सोहावल	फैजाबाद	एससी
14	बीपीसी	मछली गाँव ननकर	मछली गाँव ननकर	मनकापुर	गोण्डा	ओबीसी(जीपी)
15	बीपीसी	सैफाबाद	सैफाबाद	पट्टी	प्रतापगढ़	एससी
16	बीपीसी	कोरवा	कोरवा	अमेठी	अमेठी	एससी
17	बीपीसी	निहाल गढ़ चक जंगला	निहाल गढ़ चक जंगला	मुसाफिरखाना	अमेठी	एससी
18	बीपीसी	खकसीस	खकसीस	कोंच	जालौन	एससी
19	बीपीसी	उलदन	उलदन	मऊरानीपुर	झाँसी	एससी(जीपी)
20	बीपीसी	जाखलौन, ऐरा, आलापुर, बन्दरगुढा, सैपुरा मुजुप्ता	जाखलौन, ऐरा, बन्दरगुढा	ललितपुर	ललितपुर	एससी
21	बीपीसी	भरौंहा	बरामार	करछना	इलाहाबाद	ओ
22	बीपीसी	परसोई	परसोई	राबर्टसगंज	सोनभद्र	एससी
23	बीपीसी	भगवानपुर	लोहरा	आजमगढ सदर	आजमगढ	ओबीसी
24	बीपीसी	गड़खड़ा	गड़खड़ा	पिण्डरा	वाराणसी	एससी
25	बीपीसी	विजयगढ़	विजयगढ़	कोल	अलीगढ़	एससी
26	बीपीसी	धमरावली	धमरावली	बुलन्दशहर	बुलन्दशहर	एससी
27	बीपीसी	जहरा	जहरा	बुलन्दशहर	बुलन्दशहर	ओबीसी
28	बीपीसी	फ़तेहाबाद उर्फ़ जुलेपुरा	फ़तेहाबाद उर्फ़ जुलेपुरा	बुलन्दशहर	बुलन्दशहर	एससी
29	बीपीसी	सलेमपुर	सलेमपुर	शिकारपुर	बुलन्दशहर	एससी
30	बीपीसी	कोरना चमरुआ	कोरना चमरुआ	हाथरस	हाथरस	ओ
31	बीपीसी	कुरसन्डा	कुरसन्डा	सादाबाद	हाथरस	ओबीसी
32	बीपीसी	सरसई नरऊ	सरसई नरऊ	सहावर	कासगंज	ओबीसी
33	बीपीसी	नौनेर	नौनेर	मैनपुरी	मैनपुरी	एससी
34	बीपीसी	गदिया	गदिया	नवाबगंज	बाराबंकी	ओ (जीपी)
35	बीपीसी	जहॉगीराबाद	जहॉगीराबाद	नवाबगंज	बाराबंकी	ओबीसी
36	बीपीसी	मुडरामऊ	मुडरामऊ	शाहाबाद	हरदोई	ओबीसी
37	बीपीसी	बिशुनगढ़	बिशुनगढ़	छिबरामऊ	कन्नौज	एससी
38	बीपीसी	इन्द्रगढ़	इन्द्रगढ़	तिर्वा	कन्नौज	एससी
39	बीपीसी	खड़िनी	खड़िनी	छिबरामऊ	कन्नौज	ओबीसी
40	बीपीसी	कुड़नी	कुड़नी	घाटमपुर	कानपुर नगर	एससी
41	बीपीसी	पाली	पाली	कानपुर सदर	कानपुर नगर	ओ
42	बीपीसी	सेन पश्चिमपारा	सेन पश्चिमपारा	कानपुर सदर	कानपुर नगर	ओ (जीपी)
43	बीपीसी	अलीनगर	अलीनगर	मोहम्मदी	खीरी	एससी
44	बीपीसी	बहरौली, आदमपुर नौबस्ता, खवास खेड़ा	बहरौली, आदमपुर नौबस्ता, खवास खेड़ा	मोहनलालगंज	लखनऊ	एससी
45	बीपीसी	परसिया	परसिया	धौरारा	खीरी	एससी
46	बीपीसी	इटव्वा	इटव्वा	लहरपुर	सीतापुर	ओ
47	बीपीसी	इरापुर, गड़ौसा	गड़ौसा	लहरपुर	सीतापुर	ओ
48	बीपीसी	काजीकमालपुर	अल्लीपुर बन्डिया	सीतापुर	सीतापुर	एससी
49	बीपीसी	असरेन्दा	असरेन्दा	पुरवा	उन्नाव	ओबीसी
50	बीपीसी	भवानीगंज	भवानीगंज	पुरवा	उन्नाव	एससी
51	बीपीसी	जबरेला	जबरेला	पुरवा	उन्नाव	एससी
52	एचपीसी	आँवलखेड़ा	आँवलखेड़ा	एत्मादपुर	आगरा	ओ
53	एचपीसी	रजबपुर	रजबपुर	अमरोहा	अमरोहा	ओ (जीपी)
54	एचपीसी	खत्ता प्रहलादपुर	खत्ता प्रहलादपुर	बागपत	बागपत	ओ
55	एचपीसी	बुढनपुर	बुढनपुर	धामपुर	बिजनौर	एससी
56	एचपीसी	ढिकोली	ढिकोली	बागपत	बागपत	ओ (जीपी)
57	एचपीसी	हल्दीकलाँ, सिहौर, औरंगाबाद, म्यूड़ी बुर्जुग	हल्दीकलाँ, सिहौर, औरंगाबाद, म्यूड़ी बुर्जुग	मीरगंज	बरेली	एससी
58	एचपीसी	सिमरिया, खमरिया आजमपुर, तिलमास, सिरोधी, अंगदपुर, गोरा लोकनाथपुर मुस्तकिल	सिमरिया, खमरिया आजमपुर, तिलमास, सिरोधी, अंगदपुर, गोरा लोकनाथपुर मुस्तकिल	मीरगंज	बरेली	ओबीसी
59	एचपीसी	रेहड़	रेहड़	धामपुर	बिजनौर	ओ
60	एचपीसी	खोड़ा	खोड़ा	खोड़ा	गाजियाबाद	ओबीसी
61	एचपीसी	प्रहलादगड़ी	प्रहलादगड़ी	गाजियाबाद	गाजियाबाद	ओबीसी
62	एचपीसी	सिहानी	सिहानी	गाजियाबाद	गाजियाबाद	ओ
63	एचपीसी	बक्सर	बक्सर	गढ़मुक्तेश्वर	हापुड़	ओबीसी
64	एचपीसी	राल	राल	मथुरा	मथुरा	ओबीसी (जीपी)
65	एचपीसी	बरखेड़ा	बरखेड़ा (नगर पंचायत)	बीसलपुर	पीलीभीत	ओबीसी
66	एचपीसी	परेवा वैश्य	परेवा वैश्य	पीलीभीत	पीलीभीत	ओ
67	एचपीसी	सौधन मोहम्मदपुर	सौधन मोहम्मदपुर	संभल	संभल	ओबीसी
68	एचपीसी	सादुल्लापुर	गढ़मुक्तेश्वर	गढ़मुक्तेश्वर	हापुड़	एससी
69	एचपीसी	महम्मदपुर	महम्मदपुर रायगंज	भीटी	अम्बेडकरनगर	एससी
70	एचपीसी	अराजी	अराजी	सगड़ी	आजमगढ़	एससी
71	एचपीसी	मवई बुजुर्ग	मवई बुजुर्ग	बाँदा	बांदा	ओबीसी
72	एचपीसी	खरौनी	खरौनी	बांसडीह	बलिया	ओबीसी
73	एचपीसी	खेजुरी	खेजुरी	सिकंदरपुर	बलिया	एससी
74	एचपीसी	लालगंज–बरीघाट	कुडरहा	बस्ती सदर	बस्ती	एससी
75	एचपीसी	महादेवा	महादेवा	बस्ती सदर	बस्ती	ओ (सीसी)
76	एचपीसी	जददापुर	जददापुर	तुलसीपुर	बलरामपुर	ओबीसी
77	एचपीसी	सरधुआ	सरधुआ	करवी	चित्रकूट	एससी
78	एचपीसी	बंजारिया	पथेरवा	देवरिया	देवरिया	ओबीसी
79	एचपीसी	पैना बांगर	पैना बांगर	बरहज	देवरिया	एससी
80	एचपीसी	रामपुर	रामपुर	भाटपररानी	देवरिया	ओ
81	एचपीसी	बहोरनपुर, भदोखर, ददेरा, कुशमाहा, सुखापुर एटौरा	बहोरनपुर, भदोखर, ददेरा, कुशमाहा, सुखापुर एटौरा	फैजाबाद	फैजाबाद	ओ
82	एचपीसी	हैदरगंज	हैदरगंज	बीकापुर	फैजाबाद	एससी (जीपी)
83	एचपीसी	तेंदुआ	तेंदुआ	खागा	फ़तेहपुर	एससी (सीसी)
84	एचपीसी	नरवर	नरवर	मरदाह	गाजीपुर	ओ
85	एचपीसी	तुल्ला पट्टी	तुल्ला पट्टी	करानदा	गाजीपुर	एससी
86	एचपीसी	आदमपुर	आदमपुर	तरबगंज	गोंडा	ओबीसी
87	एचपीसी	गुलरिहा	गुलरिहा	पुरवा	उन्नाव	एससी
88	एचपीसी	हसेरन	हसेरन	तिर्वा	कन्नौज	एससी
89	एचपीसी	रेऊना	रेऊना	भोगिनीपुर	कानपुर देहात	एससी
90	एचपीसी	खेरसा	खेरसा	कानपुर सदर	कानपुर नगर	ओबीसी
91	एचपीसी	अन्धावाँ	अन्धावाँ	मंझनपुर	कौशाम्बी	एससी
92	एचपीसी	दैलवारा	दैलवारा	ललितपुर	ललितपुर	एससी
93	एचपीसी	रजवारा	रजवारा	ललितपुर	ललितपुर	ओ
94	एचपीसी	बनी	लखनऊ	लखनऊ	लखनऊ	एससी
95	एचपीसी	बैकुंठपुर	सहजनवा	फरेंदा	महाराजगंज	एससी
96	एचपीसी	करछनवां (कर्छवा)	करछनवां (कर्छवा)	मिर्ज़ापुर	मिर्ज़ापुर	ओबीसी (सीसी)
97	एचपीसी	नसीराबाद	नसीराबाद	सलोन	रायबरेली	एससी
98	एचपीसी	हरिहरपुर, निगोहा, सुकरुल्लापुर	निगोहा, सुकरुल्लापुर	ऊंचाहार	रायबरेली	ओ
99	एचपीसी	पैतेपुर	पैतेपुर	महमूदाबाद	सीतापुर	एससी
100	एचपीसी	परियर	परियर	उन्नाव	उन्नाव	एससी
101	एचपीसी	मलिकपुरनोनरा	मलिकपुरनोनरा	कादीपुर	सुल्तानपुर	ओ
102	आईओसी	पाली खुर्द, पाली कलॉ	पाली खुर्द	भर्थना	इटावा	ओ
103	आईओसी	ओंझा	ओंझा	मैनपुरी	मैनपुरी	ओ
104	आईओसी	छाछा	छाछा	भौगॉव	मैनपुरी	ओ
105	आईओसी	बेरा	बेरा	मथुरा	मथुरा	ओबीसी
106	आईओसी	ढ्योटी	ढ्योटी	धनौरा	अमरोहा	ओ
107	आईओसी	नाहल	नाहल	गाज़ियाबाद	गाज़ियाबाद	एससी
108	आईओसी	पैगा	पैगा	मोदीनगर	गाज़ियाबाद	ओ
109	आईओसी	सुल्तानपुर	सुल्तानपुर	मोदीनगर	गाज़ियाबाद	ओ
110	आईओसी	भुन ना तगा	भुन ना तगा	जेवर	गौतम बुद्ध नगर	ओ
111	आईओसी	खैरपुर गुर्जर	खैरपुर	दादरी	गौतम बुद्ध नगर	ओ
112	आईओसी	चिपयाना खुर्द उर्फ़ टिग्री	चिपयाना खुर्द	दादरी	गौतम बुद्ध नगर	ओ
113	आईओसी	पाली	पाली	दादरी	गौतम बुद्ध नगर	ओ
114	आईओसी	रूपवास	रूपवास	दादरी	गौतम बुद्ध नगर	ओबीसी
115	आईओसी	हैवतपुर	हैवतपुर	दादरी	गौतम बुद्ध नगर	ओबीसी
116	आईओसी	रमाला	रमाला	बड़ौत	बागपत	ओबीसी
117	आईओसी	बाकरपुर बालैनी	बाकरपुर बालैनी	बागपत	बागपत	ओ
118	आईओसी	आजमगढ़ उर्फ रतनगढ़	आजमगढ़ उर्फ रतनगढ़	चाँदपुर	बिजनोर	ओ
119	आईओसी	मोरना	मोरना	चाँदपुर	बिजनोर	ओबीसी
120	आईओसी	करौरा	करौरा	खुर्जा	बुलन्दशहर	ओ
121	आईओसी	अडौली	अडौली	बुलन्दशहर	बुलन्दशहर	ओ
122	आईओसी	बराल	बराल	बुलन्दशहर	बुलन्दशहर	एससी
123	आईओसी	ख्वासपुर	ख्वासपुर	सिकंद्राबाद	बुलन्दशहर	ओ(जीपी)
124	आईओसी	बिलसूरी	बिलसूरी	सिकंद्राबाद	बुलन्दशहर	ओबीसी
125	आईओसी	चितौली	चितौली	हापुड़	हापुड़	ओ(जीपी)
126	आईओसी	भौआ बाज़ार, कोठा मक्खन, खजुरिया श्रीराम, धिमरी विलासनगर	भौआ बाज़ार, कोठा मक्खन, खजुरिया श्रीराम, धिमरी विलासनगर	नवाबगंज	बरेली	ओ
127	आईओसी	जसोदा	जसोदा	कन्नौज़	कन्नौज़	ओ
128	आईओसी	खैरनगर	खैरनगर	तिर्वा	कन्नौज़	ओबीसी
129	आईओसी	मानीमऊ	मानीमऊ	कन्नौज़	कन्नौज़	ओ
130	आईओसी	सकरावा	सकरावा	छिबरामऊ	कन्नौज़	ओबीसी
131	आईओसी	चंदुइया हज़ारा	चंदुइया हज़ारा	पूरनपुर	पीलीभीत	ओ(जीपी)
132	आईओसी	पौटा कलां, जिरौनीया, अलियापुर	पौटा कलां, जिरौनीया, अलियापुर	पीलीभीत	पीलीभीत	ओबीसी
133	आईओसी	रामनगर, नौजलहा नकटा, ढकिया ता0 महाराजपुर, सेलहा	रामनगर, नौजलहा नकटा, ढकिया ता0 महाराजपुर, सेलहा	पूरनपुर	पीलीभीत	ओ
134	आईओसी	हुसेनपुर कवरा, अकबरी, पलिया दरोवस्त, मकरंदपुर, पोसील, परशरामपुर	हुसेनपुर कवरा	तिलहर	शाहजहांपुर	ओ
135	आईओसी	लक्ष्मनपुर, बेहटा जंगल, हेतमपुर	लक्ष्मनपुर, बेहटा जंगल, हेतमपुर	जलालाबाद	शाहजहांपुर	ओबीसी
136	आईओसी	सुहेली, मियांपुर ज.बिलंदपुर, बिलंदपुर गद्दीपुर, लधोला, गोलारायपुर	सुहेली, मियांपुर ज.बिलंदपुर, बिलंदपुर गद्दीपुर, लधोला, गोलारायपुर	पुवायाँ	शाहजहांपुर	ओ
137	आईओसी	भीटी	भीटी	हंडिया	इलाहाबाद	एससी
138	आईओसी	लेड़ीयारी	लेड़ीयारी	कोरांव	इलाहाबाद	ओ
139	आईओसी	यासीनपुर उर्फ करनाईपुर	करनाईपुर	फूलपुर	इलाहाबाद	ओबीसी
140	आईओसी	सिकन्दरा	सिकन्दरा	फूलपुर	इलाहाबाद	ओबीसी
141	आईओसी	नदूला	नदूला	हांडिया	इलाहाबाद	ओ(जीपी)
142	आईओसी	परसौंजा, रमयापुर, कहेटामाफी	परसौंजा, रमयापुर, कहेटामाफी	कर्वी	चित्रकूट	एससी
143	आईओसी	करण्डा	करण्डा	गाजीपुर	गाजीपुर	ओबीसी
144	आईओसी	फरद्वहा	फरद्वहा	सैदपुर	गाजीपुर	ओ
145	आईओसी	मंगारी	मंगारी	सैदपुर	गाजीपुर	एससी
146	आईओसी	रणजीतपुर	रणजीतपुर	जौनपुर–सदर	जौनपुर	ओबीसी
147	आईओसी	पसियाही–खुर्द	पसियाही–खुर्द	मढ़ियाहुन	जौनपुर	एससी
148	आईओसी	सरसरा–खास	सरसरा	मढ़ियाहुन	जौनपुर	एससी
149	आईओसी	तिलंगा	तिलंगा	मढ़ियाहुन	जौनपुर	ओ
150	आईओसी	कोशम इनाम उपरहार, कोशम खिराज	कोशम इनाम, कोशम खिराज	मंझनपुर	कौशांबी	एससी
151	आईओसी	सरसवॉ	सरसवॉ	मंझनपुर	कौशांबी	एससी
152	आईओसी	शहजादपुर उपरहार	शहजादपुर	सिराथू	कौशांबी	एससी(जीपी)
153	आईओसी	बरैनी	बरैनी	मिर्जापुर	मिर्जापुर	एससी
154	आईओसी	भैंसा	भैंसा	मिर्जापुर	मिर्जापुर	एससी
155	आईओसी	आंसपुर देवसरा	आंसपुर देवसरा	पट्टी	प्रतापगढ़	एससी
156	आईओसी	पेडरिया	पेडरिया	लालगंज	प्रतापगढ़	ओ
157	आईओसी	गरौली	जाठी	औराई	संत रविदास नगर	एससी
158	आईओसी	बरनई	बरनई	ज्ञानपुर	संत रविदास नगर	ओबीसी(सीसी)
159	आईओसी	जमशिला	जमशिला	दूधी	सोनभद्र	एससी
160	आईओसी	कोहडा, आंधीपुर, गोंधना, फरीदपुर	कोहडा, आंधीपुर, गोंधना, फरीदपुर	फूलपुर	आजमगढ	एससी
161	आईओसी	मन्दे या मन्देपूर, मैनुद्दीनपुर, खानपुर, रोशनपुर, ईदिलपुर, बडहलगंज, छतउर	मन्दे या मन्देपूर, मैनुद्दीनपुर, खानपुर, रोशनपुर, ईदिलपुर, बडहलगंज, छतउर	सदर आजमगढ	आजमगढ	ओ
162	आईओसी	पवई, जल्लदीपुर, रामपुर कलां, मरहट, अण्डिका, लग्गूपुर, गद्दोपुर, बागबहार	पवई, जल्लदीपुर, रामपुर कलां, मरहट, अण्डिका, लग्गूपुर, गद्दोपुर, बागबहार	फूलपुर	आजमगढ	एससी
163	आईओसी	करहकोल, टिघरा खैरवा, हरहा, माझा नरायन, हौलीवालिया, लीलापुर भैसाही, खोपा	करहकोल, टिघरा खैरवा, हरहा, माझा नरायन, हौलीवालिया, लीलापुर भैसाही खोपा	रूद्रपुर	देवरिया	ओबीसी
164	आईओसी	पिपरा कछार, शीतल माझा, माझा जगत, अवस्थी, अहिरौली बुजुर्ग, जगत सेमरौना, सोनबरसा, करनपूरा, विट्ठलपुर	पिपरा कछार, शीतल माझा, माझा जगत, अवस्थी, अहिरौली बुजुर्ग, जगत सेमरौना, सोनबरसा, करनपूरा, विट्ठलपुर	रूद्रपुर	देवरिया	ओ
165	आईओसी	बलारमऊ, पिठला, जोरियम, अकमा, सिधौना, ईसौली भारी, बिरौलीझाम	बलारमऊ, पिठला, जोरियम, अकमा, सिधौना, ईसौली भारी, बिरौलीझाम	मिल्कीपुर	फैजाबाद	ओबीसी
166	आईओसी	कनकपुर, छतरा, रतनपुर, रामपुर मया, सराय सागर, मयाभीखी, दलपतपुर उपरहार	कनकपुर, छतरा, रतनपुर, रामपुर मया, सराय सागर, मयाभीखी, दलपतपुर उपरहार	सदर आजमगढ	फैजाबाद	एससी
167	आईओसी	सिरपुरवा, कचनापुर, सकरौरा, कुर्था, कुतुबपुर, कंजेमऊ, हीरापुर शाहपुर, सेमरी	सिरपुरवा, कचनापुर, सकरौरा, कुर्था, कुतुबपुर, कंजेमऊ, हीरापुर शाहपुर, सेमरी	करनैलगंज	गोण्डा	एससी
168	आईओसी	पिपरौली बुजुर्ग, पिपरौली खुर्द, मल्हीपुर, उसका, बांसपार, बसुधा, देईपार, माही, अमटौरा	पिपरौली बुजुर्ग, पिपरौली खुर्द, मल्हीपुर, उसका, बसुधा, देईपार, माही, अमटौरा	सहजनवा	गोरखपुर	ओबीसी
169	आईओसी	सड़सड़ा बुजुरग, सड़सड़ा खुर्द, भीखाभार बुजुर्ग, मठिया, मूँगवार, दरहिया, उनौली, खोापापार, बारा नगर, बरईपार, देइडीहा, चन्दौली	सड़सड़ा बुजुरग, सड़सड़ा खुर्द, भीखाभार बुजुर्ग, मठिया, मूँगवार, दरहिया, उनौली, खोापापार, बारा नगर, बरईपार, देइडीहा, चन्दौली	गोला	गोरखपुर	ओ
170	आईओसी	बरॉव, मुन्डेराशुक्ल, भैसही उर्फ भैंसवरिया, बडगो, गायघाट, बसवारी गांव	बरॉव, मुन्डेराशुक्ल, भैसही उर्फ भैंसवरिया, बडगो, गायघाट, बसवारी गांव	धनघटा	सन्त कबीर नगर	एससी(सीसी)
171	आईओसी	बेव मुस्तहकम	बेव मुस्तहकम	डुमरियागंज	सिद्धार्थनगर	एससी
172	आईओसी	भडरिया	भडरिया	डुमरियागंज	सिद्धार्थनगर	ओ
173	आईओसी	सूपाराजा	सूपाराजा	बांसी	सिद्धार्थनगर	ओबीसी
174	आईओसी	धोबहा	धोबहा	इटवा	सिद्धार्थनगर	ओबीसी
175	आईओसी	कोठी, मदारपुर रोशनजमाखाँ, पूरेरुद्र, नूरापुर, उसमानपुर	कोठी, मदारपुर रोशनजमाखाँ, उसमानपुर, भुनाईरुद्र	हैदरगढ़	बाराबंकी	ओ(सीसी)
176	आईओसी	रसौली, प्रतापगंज, सेमरी, मुबारकपुर	रसौली, प्रतापगंज, सेमरी	नवाबगंज	बाराबंकी	ओबीसी
177	आईओसी	रेन्दुवा पल्हरी, बस्ती, खसपरिया, माती	रेन्दुवा पल्हरी, बस्ती, खसपरिया, माती	नवाबगंज	बाराबंकी	ओ
178	आईओसी	अलियाबाद, पूरे कामगार, रसूलपुर, बेलहरी, गुलचप्पा कला	अलियाबाद, रसूलपुर, बेलहरी, गुलचप्पा कला	रामसनेही घाट	बाराबंकी	ओ
179	आईओसी	बांसगाँव, पत्रा, गढ़ी, मल्दहा, वसंतपुर, असवा, सिकरोहरा, रानीमऊ	बांसगाँव, वसंतपुर,रानीमऊ	रामसनेही घाट	बाराबंकी	ओबीसी(जीपी)
180	आईओसी	अहमदपुर, देवकली, भेंदुवा	अहमदपुर, देवकली, मेदुवा	रामसनेही घाट	बाराबंकी	एससी
181	आईओसी	सूर्यपुर, मानपुर मकोहिया, खुसेहटी, रामपुर	सूर्यपुर, मानपुर मकोहिया, डिग्सरी	रामसनेही घाट	बाराबंकी	एससी
182	आईओसी	कस्बा इचौली, सुर्रा	कस्बा इचौली, सुर्रा	सिरौली गौसपुर	बाराबंकी	एससी(जीपी)
183	आईओसी	डीघ	डीघ	बिंदकी	फतेहपुर	एससी
184	आईओसी	गुनीर, गोविंदपुर, मवइया	गुनीर	बिंदकी	फतेहपुर	एससी
185	आईओसी	जमरावाँ	जमरावाँ	फतेहपुर	फतेहपुर	ओबीसी
186	आईओसी	शाह	शाह	फतेहपुर	फतेहपुर	एससी
187	आईओसी	कुठौन्दा, कुदारी माधौगढ़, गड़ेरना, तोरना, हसूपुरा, ईगुई माधौगढ़	कुठौन्दा, कुदारी मधौगढ़, गड़ेरना, डाबर माधौगढ़, ईगुई माधौगढ़	माधोगढ़	जालौन	ओबीसी
188	आईओसी	गोपालपुरा	गोपालपुरा	माधोगढ़	जालौन	एससी
189	आईओसी	रेंढर	रेंढर	माधोगढ़	जालौन	एससी
190	आईओसी	स्योढारी	स्योढारी	घाटमपुर	कानपुर नगर	ओबीसी(जीपी)
191	आईओसी	बरौर	बरौर	भोगनीपुर	कानपुर देहात	एससी
192	आईओसी	पिपरगवां	पिपरगवां	कानपुर सदर	कानपुर नगर	ओ(सीसी)
193	आईओसी	कलयानपुरा, झरकौन, कचनौन्दाकलाँ, खोंखरा	कलयानपुरा, झरकौन, कचनौन्दाकलाँ	ललितपुर	ललितपुर	एससी
194	आईओसी	बिजनौर, अशरफनगर, अहमदपुर उर्फ कमलापुर	बिजनौर, अशरफनगर, अहमदपुर उर्फ कमलापुर	लखनऊ	लखनऊ	ओबीसी
195	आईओसी	जैतपुर	जैतपुर	कुलपहार	महोबा	एससी
196	आईओसी	गेगासो, खजूरगाँव, मीठापुर बढ़ैया, टीला	गेगासो, खजूरगाँव, मीठापुर बढ़ैया, टीला	लालगंज	रायबरेली	ओ
197	आईओसी	बेला भेला	बेला भेला	रायबरेली	रायबरेली	ओबीसी
198	आईओसी	पोठई, बेतौरा, मझिलहा	पोठई, बेतौरा, मझिलहा	सलोन	रायबरेली	ओ
199	आईओसी	इन्हौना	इन्हौना	तिलोई	रायबरेली	एससी
200	आईओसी	इटौरा बुजुर्ग	इटौरा बुजुर्ग	ऊंचाहार	रायबरेली	ओ
201	आईओसी	कन्दरावां, खरौली मुस्तकिल	कन्दरावां, खरौली मुस्तकिल	ऊंचाहार	रायबरेली	एससी
202	आईओसी	रेउसा, बम्भनावा	रेउसा,बम्भनावा	बिसवां	सीतापुर	एससी
203	आईओसी	अकोहरी	अकोहरी	पुरवा	उन्नाव	एससी

शेष अगले पृष्ठ पर ......

पिछले पृष्ठ का शेष भाग...

पुनः विज्ञापित स्थान

क्र. सं.	तेल कंपनी	आरजीजीएलवी स्थान का नाम (कस्बा/गांव)	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील का नाम	जिला	श्रेणी**
204	बीपीसी	माछरा	माछरा	मवाना	मेरठ	ओ
205	बीपीसी	बझेड़ा कला	सपनावत	हापुड	हापुड़	ओ
206	बीपीसी	टहरोली कलाँ	टहरोली कलाँ	टहरोली	झाँसी	ओ
207	बीपीसी	धौर्रा	धौर्रा	ललितपुर	ललितपुर	ओ
208	बीपीसी	ग्राम पंचायत सबादा, महाबरा, मडौली कलाँ के अंर्तात आने वाले गाँव	सबादा, महाबरा, मडौली कलाँ	बांदा	बांदा	ओ
209	बीपीसी	हरनोट भोजपुर	हरनोट भोजपुर	अतरौली	अलीगढ़	ओ
210	बीपीसी	देहरस	देहरस	कर्नलगंज	गोण्डा	ओ
211	बीपीसी	उमरी बेगमगंज	उमरी	तरबगंज	गोण्डा	ओ
212	बीपीसी	कुक नगर ग्रिटं	कुक नगर ग्रिटं	मनकापुर	गोण्डा	ओ
213	बीपीसी	बवाँ	बवाँ	मिल्कीपुर	फैजाबाद	ओ
214	बीपीसी	शाहगंज	मुकीमपुर ऊर्फ पहाड़पुर	बीकापुर	फैजाबाद	ओ
215	बीपीसी	कठौरा	कठौरा	मुसाफिरखाना	अमेठी	ओ
216	बीपीसी	परसदेपुर	परसदेपुर	सलोन	रायबरेली	ओ
217	बीपीसी	दरजनिया	दरजनिया	तुलसीपुर	बलरामपुर	ओ
218	बीपीसी	पहाड़ापुर	पहाड़ापुर	कर्नलगंज	गोण्डा	ओ
219	बीपीसी	वासापार	वासापार	भानपुर	बस्ती	ओ
220	बीपीसी	भागेसर	कोरांव	कोरांव	इलाहाबाद	ओ
221	बीपीसी	मेज़ा खास	मेज़ा खास	मेज़ा	इलाहाबाद	ओ
222	बीपीसी	टडिला	टडिला	बाँसडीह	बलिया	ओ
223	बीपीसी	डोडा माफी, किहुनिया, इटवा टुडैला	कर्वी	कर्वी	चित्रकूट	ओ
224	बीपीसी	नारायनपुर, लक्ष्मीपुर, सिंहपुर	नारायनपुर, लक्ष्मीपुर, सिंहपुर	हाटा	कुशीनगर	ओ
225	बीपीसी	अजीज नगर, सिरसिया, पकडीमदाराहा, गोनहा	अजीज नगर, सिरसिया, पकडीमदाराहा, गोनहा	हाटा	कुशीनगर	ओ
226	बीपीसी	राजापुर मल्हुआ	सोरांव	सोरांव	इलाहाबाद	ओ
227	बीपीसी	कोहरवलिया	कोहरवलिया	पडरौना	कुशीनगर	एससी
228	बीपीसी	रूदापुर	फूलपुर	फूलपुर	इलाहाबाद	ओ
229	बीपीसी	माघी कोठिल्वा	माघी कोठिल्वा	पडरौना	कुशीनगर	ओ
230	बीपीसी	जोल्हापुर	जोल्हापुर	सगरी	आजमगढ	ओ
231	बीपीसी	सराँव बुजुर्ग, बाँसडीला, सराँव खुर्द, भेरी	एकौना, सराँव खुर्द	रूद्रपुर	देवरिया	ओ
232	बीपीसी	खण्डवारी	खण्डवारी	चंदौली	चंदौली	ओ
233	बीपीसी	निजामाबाद, फरहाबाद, सोफीपुर, शेरपुर	निजामाबाद	निजामाबाद	आजमगढ	ओ
234	बीपीसी	पडरी पाण्डेय	पडरी पाण्डेय	सलेमपुर	देवरिया	एससी
235	बीपीसी	बेलवा	बेलवा	मडयाहू	जौनपुर	एससी
236	बीपीसी	पलटा, मलूकपुर, मुजीमपुर, इसरहना, भटेहटा, सिपहिया	अटवटमऊ, मलूकपुर, भटेहटा, करन्जवाड़ा, शेषपुर, सिपहिया	नवाबगंज	बाराबंकी	ओ
237	बीपीसी	लाही	लाही	हैदरगढ़	बाराबंकी	ओ
238	बीपीसी	बिछिया	अमवा विशुनापुर	नानपारा	बहराइच	ओ
239	बीपीसी	हरखापुर	हरखापुर	नानपारा	बहराइच	ओ
240	बीपीसी	वजीरपुर, परसोरा, विशुनपुर राहु, बघौड़ा, कटरा बहादर गंज	वजीरपुर	बहराइच	बहराइच	ओ
241	बीपीसी	पलिया	पलिया(नगरपालिका)	पलिया कलॉ	खीरी	ओबीसी
242	बीपीसी	माकनपुर	माकनपुर	पलिया कलॉ	खीरी	ओ
243	बीपीसी	सफदरगंज, चन्दवारा, मुश्कीनगर, सैदाबाद, औलिया लालपुर, प्यारेपुर सरैया	सफदरगंज, चन्दवारा, मुश्कीनगर, सैदाबाद, औलिया लालपुर, प्यारेपुर सरैया	नवाबगंज, सिरौली, गौसपुर	बाराबंकी	ओ
244	बीपीसी	जहानीखेड़ा, देवमलपुर,	भेटुआ	शाहाबाद	हरदोई	ओ
245	बीपीसी	मंहगापुर	मंहगापुर	पलिया कलॉ	खीरी	ओ
246	एचपीसी	साँठा, गनवरिया	साँठा, गनवरिया	मेहदावल	संतकबीर नगर	ओ
247	एचपीसी	मुरादपुर कोटला, सुल्तानपुर	मुरादपुर कोटला, सुल्तानपुर	बदलापुर	जौनपुर	ओ
248	एचपीसी	माकनपुर	माकनपुर	बिलहौर	कानपुर नगर	ओ
249	एचपीसी	मैढी, अलहदपुर	मैढी, अलहदपुर	चकिया	चंदौली	ओ
250	एचपीसी	भभुवा	भभुवा	कर्नलगंज	गोंडा	ओ
251	एचपीसी	तरगाँव घाटमपुर	तरगाँव घाटमपुर	घाटमपुर	कानपुर नगर	ओ
252	एचपीसी	दुबौलिया	दुबौलिया	हरैया	बस्ती	ओ
253	एचपीसी	ऊंजी मुस्तहकम	ऊंजी मुस्तहकम	हरैया	बस्ती	ओ
254	एचपीसी	बीरसिंह पुर	बीरसिंह पुर	हसनगंज	उन्नाव	ओ
255	एचपीसी	सरौली उर्फ पहेतिया	सरौली उर्फ पहेतिया	जाखनिया	गाजीपुर	ओ
256	एचपीसी	बसंतपुर	बसंतपुर	क़ैसरगंज	बहराइच	ओ
257	एचपीसी	बारी गोनवा	बारी गोनवा	खजनी	गोरखपुर	ओ
258	एचपीसी	मसीदहा रतन	मसीदहा रतन	मलिहाबाद	लखनऊ	ओ
259	एचपीसी	परसा	परसा	मोहमदाबाद	गाजीपुर	ओ
260	एचपीसी	इन्तहा	इन्तहा	नानपरा	बहराइच	ओ
261	एचपीसी	बंडीपुल चौराहा, सखोपार	सखोपार	पडरौना	कुशीनगर	ओ
262	एचपीसी	पदरही (उर्फ पकरी), कटहीमार पुरवा	पदरही	पडरौना	कुशीनगर	ओ
263	एचपीसी	करमाहा	करमाहा	फरेंदा	महाराजगंज	ओ
264	एचपीसी	पालीखास, कलेसर	कलेसर	सहजनवा	गोरखपुर	ओ
265	एचपीसी	देवकली	देवकली	सैदपुर	गाजीपुर	ओ
266	एचपीसी	चिंतौरा	चिंतौरा	टांडा	अम्बेडकरनगर	ओ
267	एचपीसी	कुसी	कुसी	जमनिया	गाजीपुर	ओ
268	एचपीसी	टेंडवा महंत, परसौरा, रामपुर, बैदौरा, कैलाशपुर, भगवानपुर	टेंडवा महंत, परसौरा, रामपुर, कैलाशपुर, भगवानपुर	इकौना	श्रावस्ती	ओ
269	एचपीसी	किशुनपुर, गबरहा	किशुनपुर, गबरहा	बिलहौर	कानपुर नगर	ओ
270	एचपीसी	बनखोरिया, बेनथु, साठा	मोतीपुर, बेनथु	मेहदावल	संतकबीर नगर	ओ
271	एचपीसी	केसवार, जामुनी	जामुनी	डुमरियागंज	सिद्दार्थ नगर	एससी
272	एचपीसी	सिकलोधी	सिकलोधी	आर्तरा	बांदा	ओ
273	एचपीसी	डुमरियागंज	डुमरियागंज	डुमरियागंज	सिद्दार्थ नगर	ओबीसी
274	एचपीसी	केंथु बुजुर्ग, बरगदवा, केन्थुई	केंथु बुजुर्ग	भानपुर	बस्ती	ओबीसी
275	एचपीसी	पानन कुइया, माधवपुर, दरियापुर, मैलानी	पानन कुइया	भानपुर	बस्ती	एससी
276	एचपीसी	कमालपुर	कमालपुर	सिराथु	कौसाम्बी	ओ
277	आईओसी	रामगढ़ उर्फ उमेरगढ़	रामगढ़ उर्फ उमेरगढ़	टूंडला	फ़िरोज़ाबाद	एससी
278	आईओसी	भोजपुर	भोजपुर	मोदीनगर	गाज़ियाबाद	ओ
279	आईओसी	असौड़ा	असौड़ा	हापुड	हापुड़	ओ
280	आईओसी	दुजाना	दुजाना	दादरी	गौतम बुद्ध नगर	ओ
281	आईओसी	इंदौर	इंदौर	डिबाई	बुलन्दशहर	ओ
282	आईओसी	गालन्द	गालन्द	धौलाना	हापुड़	ओ
283	आईओसी	उम्मरपुर, रामपुर– मदारी, पिपरिया–खास, कोरिगवाँ	उम्मरपुर, रामपुर– मदारी, कोरिगवाँ	मोहम्मदी	खीरी	ओ
284	आईओसी	लहबड़ी, रामनगर लहबड़ी, भाटपुरवा कलां, सूजई–कुंडा, मटेरा	रामनगर लहबड़ी, भाटपुरवा कलां, सूजई–कुंडा, मटेरा	धौरहरा	खीरी	ओ
285	आईओसी	अमीरनगर	अमीरनगर	गोला	खीरी	ओ
286	आईओसी	माज़रा हसन, लोहर्रा इनायतगंज	आरसल–पारसल/शिकारपुर	स्वार	रामपुर	ओ
287	आईओसी	बरतारा, कटियारज़्जव, शाहगंज, सरही	चकभिटारा, कटियारज़्जव, शाहगंज, सरही	सादर	शाहजहाँपुर	ओ
288	आईओसी	नगली, नगलिया नारायन, रामनगरखागूवाला, मानावाला, पृथ्वीपुर गावड़ी	रामनगरखागूवाला	ठाकुरद्वारा	मुरादाबाद	ओ
289	आईओसी	राजा का साहसपुर, रुस्तमनगर, साहसपुर सफीलपुर, अमरकाशी, फ़तेहपुर	रुस्तमनगर, साहसपुर	बिलारी	मुरादाबाद	ओ
290	आईओसी	ओरन	ओरन–नगर पंचायत	अतर्रा	बांदा	ओ
291	आईओसी	लालानगर	लालानगर	भदोही	संत रविदास नगर	ओ
292	आईओसी	जसपुरा	जसपुरा	बांदा	बांदा	ओ
293	आईओसी	असावर, दुविहाँ, नेवादा	असावर, दुविहाँ, नेवादा	मुहम्मदावाद	गाजीपुर	ओ
294	आईओसी	पेढ़	पेढ़	घोरावल	सोनभद्र	ओ
295	आईओसी	अजगरा	अजगरा	लालगंज	प्रतापगढ़	ओ
296	आईओसी	गौसपुर	गौसपुर	मुहम्मदावाद	गाजीपुर	ओ
297	आईओसी	रानीपुर लाड, सूदीपुर, रामनगर, जैतपुर, पेढ़िया, लसकारी	रानीपुर लाड, सूदीपुर, रामनगर, जैतपुर, पेढ़िया, लसकारी	हरैया	बस्ती	ओ
298	आईओसी	तुर्कपट्टी, तिरमा साहुन, देवपोखर, खिरिया, किशनदेव पट्टी	तुर्कपट्टी, तिरमा साहुन, देवपोखर, खिरिया, किशनदेव पट्टी	तमकुहीराज	कुशीनगर	ओ
299	आईओसी	ठाकुर गौरी, बेलवा गौरी, चोरडीहा	ठाकुर गौरी, बेलवा गौरी, चोरडीहा	सलेमपुर	देवरिया	ओ
300	आईओसी	वजीरगंज	वजीरगंज	तरबगंज	गोण्डा	एससी
301	आईओसी	लेदौरा	लेदौरा	बुढ़नपुर	आजमगढ़	ओ
302	आईओसी	कोल्हमपुर	कोल्हमपुर	गोण्डा	गोण्डा	ओ
303	आईओसी	बहादुर नगर, बाज नगर	बहादुर नगर, बाज नगर	मिश्रिख	सीतापुर	ओ
304	आईओसी	चथिया धंवर	चथिया धंवर	शाहाबाद	हरदोई	ओ
305	आईओसी	इटौरा	इटौरा	माधोगढ़	जालौन	ओ
306	आईओसी	फखरपुर, बांसी, डिघरा	फखरपुर, बांसी, डिघरा	मिश्रिख	सीतापुर	ओ
307	आईओसी	जमूरा, सरायरानक	जमूरा, सरायरानक	शाहाबाद	हरदोई	ओ
308	आईओसी	कौढ़ा	कौढ़ा	हरदोई	हरदोई	ओ
309	आईओसी	महसुई	महसुई	मिश्रिख	सीतापुर	ओ
310	आईओसी	मलिगाँव	मलिगाँव	रसूलाबाद	कानपुर देहात	ओ
311	आईओसी	शादीपुर	शादीपुर	सफीपुर	उन्नाव	ओ
312	आईओसी	बघौली	बघौली	हरदोई	हरदोई	ओ
313	आईओसी	बुढ़वन	बुढ़वन	खागा	फतेहपुर	ओ
314	आईओसी	परासन, करमचंदपुर	परासन, करमचंदपुर	काल्पी	जालौन	ओ

**प्रयुक्त नामावली निम्न प्रकार से है :		
ओ	–	खुली श्रेणी
एससी/एसटी	–	अनुसूचित जाति (अनु. जाति) /अनुसूचित जनजाति (अनु. जनजाति) श्रेणी
ओबीसी	–	अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी
ओ (जीपी)	–	रक्षा कार्मिक, केन्द्रीय/राज्य सरकार के कर्मचारी एवं केन्द्रीय/राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के कर्मचारियों सहित सरकारी कार्मिक श्रेणी जो खुली श्रेणी में आते हैं।
ओ (सीसी)	–	शारीरिक विकलांग (पीएच), उत्कृष्ट खिलाड़ी (ओएसपी) एवं स्वतंत्रता सेनानी (एफएफ) सहित संयुक्त श्रेणी जो खुली श्रेणी में आते हैं।
एससी/एसटी (जीपी)	–	रक्षा कार्मिक, केन्द्रीय/राज्य सरकार के कर्मचारी एवं केन्द्रीय/राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के कर्मचारियों सहित सरकारी कार्मिक श्रेणी जो अनु. जाति/अनु. जनजाति श्रेणी में आते हैं।
एससी/एसटी (सीसी)	–	शारीरिक विकलांग (पीएच), उत्कृष्ट खिलाड़ी (ओएसपी) एवं स्वतंत्रता सेनानी (एफएफ) सहित संयुक्त श्रेणी जो अनु. जाति/अनु. जनजाति श्रेणी में आते हैं।
ओबीसी (जीपी)	–	रक्षा कार्मिक, केन्द्रीय/राज्य सरकार के कर्मचारी एवं केन्द्रीय/राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के कर्मचारियों सहित सरकारी कार्मिक श्रेणी जो अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में आते हैं।
ओबीसी (सीसी)	–	शारीरिक विकलांग (पीएच), उत्कृष्ट खिलाड़ी (ओएसपी) एवं स्वतंत्रता सेनानी (एफएफ) सहित संयुक्त श्रेणी जो अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में आते हैं।

2. **केवल व्यक्तिगत** उम्मीदवार ही आवेदन करने के पात्र हैं। तथापि, नियुक्ति पर, सभी आरजीजीएलवी, आवेदक और उसके/उसकी पति/पत्नी के नाम संयुक्त रूप में होंगी (अर्थात पत्नी/पति आरजीजीएलवी के सह–स्वामी होंगे)। यदि आवेदक अविवाहित/तलाकशुदा/विधवा/विधुर है तो उसे यह घोषणा करनी होगी कि विवाह/पुनर्विवाह के पश्चात वह अपनी पत्नी/पति को सह–स्वामी बनाएगा। सह–स्वामी का अर्थ है आयु, योग्यता और रोजगार पर विचार किए बिना पति/पत्नी 50 प्रतिशत हिस्सेदार होंगे। व्यक्तिगत आवेदकों को अपने पति/पत्नी के अलावा किसी अन्य के साथ भागीदारी की अनुमति नहीं है।

3. **सभी श्रेणियों के लिए सामान्य पात्रता मापदंड :**

आरजीजीएलवी के लिए आवेदन करने वाला आवेदकः

(क) भारत का नागरिक हो।

(ख) विज्ञापित आरजीजीएलवी स्थान की ग्राम पंचायत अथवा विज्ञापित आरजीजीएलवी स्थान की तहसील का निवासी हो। आरजीजीएलवी के चयन के लिए, पहली प्राथमिकता विज्ञापित आरजीजीएलवी स्थान की ग्राम पंचायत में रहने वाले आवेदकों को दी जाएगी, ऐसा न होने पर, विज्ञापित आरजीजीएलवी स्थान की संबंधित तहसील में रहने वाले आवेदकों पर विचार किया जाएगा।

(ग) मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम दसवीं कक्षा परीक्षा अथवा समकक्ष पास हो। यह शर्त स्वतंत्रता सेनानी श्रेणी के आवेदकों के लिए लागू नहीं है।

(घ) आवेदन की तिथि पर, सरकारी कार्मिक (जीपी) श्रेणी और स्वतंत्रता सेनानी (एफएफ) श्रेणी तथा 'ओएमसी के एसकेओ डीलरों' की श्रेणी के अतिरिक्त, सभी श्रेणियों के आवेदकों की आयु 21 वर्ष से कम और 45 वर्ष से अधिक नहीं हो।

जीपी श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करने वाले आवेदकों के लिए, आवेदन करने की तिथि पर आयु 21 वर्ष से कम और 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। 'ओएमसी के एसकेओ डीलरों' की श्रेणी के आवेदकों के लिए आवेदन की तिथि पर ऊपरी आयु सीमा 60 वर्ष होगी। एफएफ श्रेणी के तहत आरक्षित स्थानों के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों के लिए आयु की कोई सीमा नहीं है।

(ङ) आवेदन की तारीख को तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) के कर्मचारी के परिवार का सदस्य नहीं हो।

ओएमसी कर्मचारी के संबंध में परिवार की परिभाषा है :

(क) कर्मचारी की पत्नी या पति, जो भी लागू हो, चाहे उसके साथ रहते हो या नहीं रहते हों, परंतु इसमें वह पति या पत्नी, जो भी लागू हो, शामिल नहीं हैं, जो एक अदालती निर्णय या सक्षम न्यायालय के आदेश द्वारा कर्मचारी से अलग हो गये हों।

(ख) कर्मचारी के पुत्र या पुत्री या सौतेले पुत्र या सौतेली पुत्रियां जो उन पर पूरी तरह आश्रित हों, परंतु इसमें ऐसा बच्चा या सौतेला बच्चा शामिल नहीं है जो अब कर्मचारी पर किसी भी प्रकार से आश्रित नहीं है या कर्मचारी को जिसके संरक्षण से कानून के तहत या द्वारा वंचित किया गया है।

(ग) अन्य कोई व्यक्ति जिसका, कर्मचारी या उसके पति/पत्नी के साथ रक्त संबंध या विवाह के जरिए संबंध है और उक्त कर्मचारी पर पूरी तरह आश्रित है।

(च) मल्टीपल डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप के मापदंड पूरे करता होः

मल्टीपल डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप का अर्थ है कि आवेदक अथवा 'पारिवारिक इकाई' के किसी अन्य सदस्य के पास किसी सार्वजनिक क्षेत्र की ऑयल कंपनी की डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप /आरजीजीएलवी नहीं होनी चाहिए अथवा डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप/आरजीजीएलवी के लिए आशय पत्र (एलओआई) नहीं होना चाहिए अर्थात एक 'पारिवारिक इकाई' को पीएसयू ऑयल कम्पनी की केवल एक रिटेल आउटलेट/एसकेओ–एलडीओ डीलरशिप/एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप/आरजीजीएलवी की अनुमति दी जाएगी। तथापि, विज्ञापन के माह के तत्काल पहले के 12 माह के दौरान एसकेओ में प्रति माह 75 कि.ली. से कम के औसत आबंटन पर प्रचालित, ओएमसी के मौजूदा एसकेओ डीलर केवल व्यक्तिगत आवेदक की श्रेणी के तहत आवेदन के पात्र होंगे और यदि उन्हें चुना जाता है तो उन्हें आरजीजीएलवी के लिए नियुक्ति पत्र जारी होने से पहले अपनी एसकेओ डीलरशिप अभ्यर्पित करनी होगी।

पूर्वोक्त मल्टीपल डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप मापदंड एनडीएनई (गैर घरेलू गैर आवश्यक) एलपीजी सिलेंडरों के एकमात्र विपणन के लिए पीएसयू ऑयल कम्पनियों द्वारा नियुक्त रिटेलरों/वितरकों पर भी लागू होंगे।

विवाहित व्यक्ति/आवेदक के मामले में, 'पारिवारिक इकाई' में संबद्ध व्यक्ति, उसकी पत्नी/पति और उनके अविवाहित पुत्र और पुत्री (यां) शामिल होंगे। अविवाहित व्यक्ति/आवेदक के मामले में, 'पारिवारिक इकाई', में संबद्ध व्यक्ति, उसके माता–पिता और उसके अविवाहित भाई और अविवाहित बहन (बहिनें) शामिल होंगे। तलाकशुदा के मामले में, 'पारिवारिक इकाई', में संबद्ध व्यक्ति, अविवाहित पुत्र/अविवाहित पुत्री (यां), जिनकी अभिरक्षा का दायित्व उसे सौंपा गया है, शामिल होंगे। विधवा/विधुर के मामले में 'पारिवारिक इकाई', में संबद्ध व्यक्ति, अविवाहित पुत्र/अविवाहित पुत्री (यां) शामिल होंगे।

(छ) विज्ञापन या शुद्धिपत्र (यदि कोई हों), में निर्दिष्ट आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि पर समापन शेष के रूप में न्यूनतम कुल 4 लाख रु. का राशिधारक हो। यह राशि कुल मिलाकर बैंक/डाकघर के बचत खातों में, अनुसूचित बैंकों, डाकघरों, सूचीबद्ध कम्पनियों/सरकारी संगठनों/राज्य एवं केन्द्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में मुक्त और गैर ऋण ग्रस्त सावधि जमा, किसान विकास पत्र, एनएससी, बॉन्ड, सूचीबद्ध कम्पनियों के शेयर, सूचीबद्ध म्यूचुअल फंड, यूलिप, पीपीएफ, जीवन बीमा पालिसी का अभ्यर्पित मूल्य जो ''पारिवारिक इकाई'' के परिवार सदस्यों या स्वयं अपने नाम पर हो सकती है, जैसाकि मल्टीपल डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप मानकों में यथा पारिभाषित है, जो आवेदक के पक्ष में उक्त परिसंपत्तियों को लिखित रूप में बंधक रखते हैं।

'अनु. जाति/अनु. जनजाति' श्रेणी के तहत आरक्षित स्थानों के मामले में, आवेदक के पास विज्ञापन या शुद्धिपत्र (यदि कोई हों) में निर्दिष्ट आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि पर समापन शेष के रूप में न्यूनतम 2 लाख रु. की राशि कुल मिलाकर बैंक/डाकघर के बचत खातों में, अनुसूचित बैंकों, डाकघरों, सूचीबद्ध कम्पनियों/सरकारी संगठनों/राज्य एवं केन्द्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में मुक्त और गैर ऋण ग्रस्त सावधि जमा, किसान विकास पत्र, एनएससी, बॉन्ड, सूचीबद्ध कम्पनियों के शेयर, सूचीबद्ध म्यूचुअल फंड, यूलिप, पीपीएफ, जीवन बीमा पालिसी का अभ्यर्पित मूल्य जो ''पारिवारिक इकाई'' के परिवार सदस्यों या स्वयं अपने नाम पर हो, जैसाकि मल्टीपल डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप मानकों में यथा पारिभाषित है, जो आवेदक के पक्ष में उक्त परिसंपत्तियों को लिखित रूप में बंधक रखते हैं।

(ज.) (i) **के स्वामित्व में:**

विज्ञापित आरजीजीएलवी स्थान पर 5000 कि.ग्रा. एलपीजी सिलेण्डरों के भंडारण के लिए एलपीजी गोदाम के निर्माण हेतु **21 मीटर X 26 मीटर** न्यूनतम परिमाप का भूखण्ड होना चाहिए। गोदाम के निर्माण के लिए 21 मीटर X 26 मीटर न्यूनतम परिमाप को पूरा न करने वाले भूखण्ड पर विचार नहीं किया जाएगा।

अथवा

विज्ञापित आरजीजीएलवी स्थान पर 5000 किग्रा. एलपीजी सिलेण्डरों की भंडारण क्षमता का तैयार एलपीजी गोदाम होना चाहिए।

भूखण्ड अथवा तैयार एलपीजी सिलेण्डर भंडारण गोदामं सभी मौसमों में वाहन जाने योग्य सड़क (सार्वजनिक सड़क या सार्वजनिक सड़क से जुड़ने वाली निजी सड़क) से जुड़ा होना चाहिए। सार्वजनिक सड़क से जुड़ने वाली निजी सड़क के मामले में यह आवेदक/परिवार के सदस्य की होनी चाहिए, जैसा भूमि के स्वामित्व मानदंडों में ज (iii) में परिभाषित किया गया है। उक्त निजी सड़क के संबंध में परिवार के सदस्यों के स्वामित्व/सह स्वामित्व के मामले में संबंधित परिवार के सदस्यों से स्वीकृति पत्र आवश्यक होगा।

(ii) भूमि समतल होनी चाहिए, प्लॉट एक ही टुकड़े में होना चाहिए, लाइव ओवरहैड पॉवर ट्रांसमिशन लाइनों अथवा टेलीफोन लाइनों से मुक्त होना चाहिए। भूखंड में से नहर/ड्रेनेज/नाला आदि नहीं गुजरना चाहिए। एलपीजी गोदाम के निर्माण की भूमि के लिए लोक निर्माण विभाग/राजमार्ग प्राधिकरण/ टाउन और कंट्री प्लानिंग विभाग आदि जैसे विभिन्न सांविधिक निकायों के मानक पूरे होने चाहिए।

(iii) **स्वामित्व** का अर्थ है विज्ञापन अथवा शुद्धिपत्र (यदि कोई हों), में निर्दिष्ट आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि पर आवेदक/'पारिवारिक इकाई' के सदस्यों, जैसा कि मल्टीपल डीलरशिप/ डिस्ट्रीब्यूटरशिप मानकों में परिभाषित है, के नाम पर सम्पत्ति या आवेदक के माता–पिता एवं दादा–दादी और नाना–नानी के स्वामित्व वाली भूमि के स्वामित्व का स्पष्ट विलेख होना चाहिए। परिवार के सदस्य के स्वामित्व/सह–स्वामित्व के उपरोक्त मामले में, परिवार के सदस्य से नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र के रूप में सहमति पत्र लेने की आवश्यकता होगी।

(iv) यदि भूमि आवेदक/'पारिवारिक इकाई' के सदस्यों (मल्टीपल डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप मानकों में यथा पारिभाषित)/माता–पिता एवं दादा–दादी/नाना–नानी के साथ अन्य किन्हीं व्यक्तियों के संयुक्त स्वामित्व में है तथा आवेदक/पारिवारिक इकाई के सदस्य/माता–पिता एवं दादा–दादी/नाना–नानी के नाम पर भूमि के भाग के मामले में आवश्यक माप सहित भूमि की आवश्यकताएं पूरी होती हैं तब वह गोदाम की भूमि, अपनी भूमि के समान ही पात्र होगी, जो अन्य स्वामियों से नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र के रूप में ''अनापत्ति प्रमाणपत्र'' जमा करने के अधीन होगी।

(v) यदि आवेदक के पास विज्ञापन या शुद्धिपत्र (यदि कोई हों), में निर्दिष्ट आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि पर 5000 कि.ग्रा. एलपीजी सिलेंडर के भंडारण के लिए गोदाम के निर्माण हेतु पर्याप्त साइज का एक से अधिक भूखंड या 5000 कि.ग्रा. क्षमता के एलपीजी सिलेंडर के भंडारण का तैयार गोदाम हो तो इसका विवरण आवेदन पत्र में भी दिया जा सकता है।

(झ) व्यापार को चलाने के लिए उसे शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए।

(ञ) उस पर किसी आपराधिक मामले, जिसमें नैतिक दुराचार/आर्थिक अपराध शामिल है, के लिए किसी कानूनी न्यायालय द्वारा न तो उसे दोषी करार किया गया हो और न ही उसके खिलाफ कोई आरोप तय किया गया हो।

(ट) उसने किसी डिस्ट्रीब्यूटरशिप/डीलरशिप करार पर हस्ताक्षर न किए हों जिसे किसी ऑयल कम्पनी द्वारा सिद्ध किए गए कदाचार/अपमिश्रण के मामले के आधार पर करार को निरस्त कर दिया गया हो।

4. **विभिन्न श्रेणियों के लिए विशिष्ट पात्रता मापदंड :**

4.1 **मुख्य आरक्षित श्रेणियों के लिए विशिष्ट पात्रता मापदंड :**

क. खुली श्रेणी (ओ) :

सामान्य पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले उम्मीदवार 'खुली' श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन कर सकते हैं।

ख. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी (एससी/एसटी) :

भारत के संविधान के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों (अनु.जा./अनु.ज.जा.) के रूप में मान्यताप्राप्त जातियों/जनजातियों से संबंध रखने वाले उम्मीदवार पात्र होंगे।

उम्मीदवारों को आवेदन पत्र के साथ, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उम्मीदवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित है।

अनु.जाति/अनु. जनजाति श्रेणी से चुने गए उम्मीदवारों को अपने संबंधित राज्य, जैसा लागू हो, के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया मूल जाति वैधता प्रमाण पत्र ड्रॉ परिणाम की घोषणा से 90 दिनों के भीतर जमा करना होगा।

ग. अन्य पिछड़ा वर्ग :

भारत के संविधान के तहत भारत सरकार (केन्द्र सरकार) द्वारा ओबीसी के रूप में मान्यताप्राप्त अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंध रखने वाले उम्मीदवार पात्र होंगे।

उम्मीदवारों को भारत सरकार (केन्द्र सरकार) द्वारा जारी संकल्प/सरकारी अधिसूचना द्वारा ओबीसी के रूप में मान्यताप्राप्त अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार होने का प्रमाणन करते हुए भारत सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकारी की ओर से जारी प्रमाणपत्र अपने आवेदन के साथ जमा करना होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाणपत्र के साथ उम्मीदवार को यह वचन भी देना होगा कि वह अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी का है और नॉन–क्रीमी लेयर स्थिति को पूरा करता है। विज्ञापन या शुद्धिपत्र (यदि कोई हों) की सूचना में उल्लिखित आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को अन्य पिछड़ा वर्ग स्थिति के लिए निर्णायक तिथि माना जाएगा और उम्मीदवार क्रीमी लेयर में नहीं आता है इसका भी सत्यापन किया जाएगा।

4.2 **विभिन्न उप–श्रेणियों के लिए विशिष्ट पात्रता मापदंड :**

क) सरकारी (केन्द्रीय और राज्य) और सार्वजनिक क्षेत्र इकाई (केन्द्रीय और राज्य) – (जीपी) :

''एससी / एसटी'', ''अन्य पिछड़ा वर्ग'' और ''खुली'' श्रेणी के तहत पात्र आवेदक, जैसा उपरोक्त पैरा 4.1 में निर्दिष्ट किया गया है, निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर संबंधित 'जीपी' उप–श्रेणी के तहत आरजीजीएलवी के लिए आवेदन कर सकते हैं :

I. रक्षा कार्मिक श्रेणी (डीपी) :

रक्षा कार्मिकों का अर्थ है सशस्त्र सेनाओं (अर्थात आर्मी, नेवी, एयरफोर्स) के कार्मिक और युद्ध में मारे गए कार्मिकों की विधवाएं/आश्रित, युद्ध में अपंग हुए/ड्यूटी के दौरान अपंग हुए कार्मिक, सशस्त्र सेनाओं के उन कार्मिकों की विधवाएं/आश्रित जो आरोप्य कारणों से कर्तव्य निर्वहन के दौरान मारे गए और आरोप्य कारणों से शांति काल के दौरान अपंग हुए हों, शामिल होंगे।

इस श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को पुनर्वास महानिदेशालय (डीजीआर), रक्षा मंत्राालय, भारत सरकार द्वारा उम्मीदवार को विज्ञापित किए गए आरजीजीएलवी, जिसके लिए उसने आवेदन किया है, के लिए प्रायोजित करने हेतु जारी किया गया पात्रता प्रमाणपत्र मूल रूप में प्रस्तुत करना होगा। एक आरजीजीएलवी के लिए जारी किया गया पात्रता प्रमाण पत्र दूसरे आरजीजीएलवी के लिए वैध नहीं होगा और इसलिए उम्मीदवार को मौजूदा विज्ञापन के अन्तर्गत विज्ञापित एक विशिष्ट स्थान के लिए प्रायोजित होने पर ही उस स्थान के लिए योग्य माना जाएगा।

इस श्रेणी के तहत आवेदकों के पास लॉट के ड्रा के दिन पर भी डीजीआर से मूल पात्रता प्रमाणपत्र जमा करने का विकल्प होगा। जबकि उक्त प्रमाणपत्र जमा करने पर ही उन्हें लॉट के ड्रा के लिए विचार में लिया जाएगा।

II. सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र कार्मिक श्रेणी :

केन्द्र सरकार/राज्य सरकारों तथा केंद्र/राज्य सरकारों के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मी जो सेवा करते हुए अयोग्य या अक्षम हो गए हों, इस श्रेणी के तहत पात्र होंगे। ड्यूटी पर मृत्यु की स्थिति में, उनकी विधवाएं/आश्रित इस श्रेणी के तहत आवेदन के पात्र होंगे।

इस श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को संबंधित संगठन/सरकारी विभाग से संबद्ध प्रमाण पत्र जो उस कार्यालय के मुख्य अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया गया हो अथवा वह भारत सरकार के अवर सचिव के स्तर से कम स्तर के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित न किया गया हो, की प्रति संलग्न करनी होगी।

ख) संयुक्त श्रेणी (सीसी) :

''अनु. जाति/अनु. जनजाति'', ''अन्य पिछड़ा वर्ग'' और ''खुली'' श्रेणी के तहत पात्र आवेदक, जैसा उपरोक्त पैरा 4.1 में निर्दिष्ट किया गया है, वे निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर संबंधित 'सीसी' उप–श्रेणी के तहत आरजीजीएलवी के लिए आवेदन कर सकते हैं :

I. शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की श्रेणी (पीएच) :

इस श्रेणी के अन्तर्गत उन उम्मीदवारों को पात्र माना जाएगा जो शरीर के ऊपरी हिस्से अथवा निचले हिस्से की न्यूनतम 40 प्रतिशत स्थायी (आंशिक) अक्षमता से ग्रस्त होंगे अथवा शरीर के ऊपरी अथवा निचले अंगों, दोनों की समग्र 50 प्रतिशत स्थायी (आंशिक) अक्षमता से ग्रस्त होंगे।

इस प्रयोजन के लिए 'स्थायी शारीरिक विकलांगता को आंकने के लिए मैनुअल फॉर आर्थोपेडिक सर्जन' में निहित मानकों जिनका प्रकाशन अमेरिकन अकादमी ऑफ आर्थोपैडिक सर्जन, अमेरिका द्वारा किया गया है और जिसका मुद्रण उनकी ओर से आर्टीफिशियल लिम्ब्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जीटी रोड, कानपुर द्वारा किया गया है, लागू होंगे।

न्यूनतम 40 प्रतिशत अक्षमता वाले मूक, बधिर और नेत्रहीन व्यक्ति भी इस श्रेणी के अन्तर्गत सभी आरजीजीएलवी डीलरशिप में आवेदन करने के पात्र होंगे। तथापि, पूरी तरह से नेत्रहीन व्यक्ति आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे।

इस श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को विभिन्न अक्षमताओं और पद्धतियों के प्रमाणन के मूल्यांकन के लिए दिशा निर्देश हेतु भारत के असाधारण राजपत्र, नई दिल्ली संख्या 154 दिनांक 13 जून, 2001 के अनुसार केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड से जारी एक प्रमाण पत्र *(आवेदन फॉर्मेट में दिए गए मानक फॉर्मेट के अनुसार)* प्रस्तुत करना होगा।

II. उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी (ओएसपी) :

निम्नलिखित व्यक्ति पात्र होंगे :

(i) अर्जुन/खेल रत्न पुरस्कार विजेता

(ii) ऑलम्पिक्स/एशियन/राष्ट्रमंडल खेलों तथा मान्यता प्राप्त विश्व चैम्पियनों/विश्व चैम्पियनशिपों में पदक विजेता

(iii) राष्ट्रीय चैम्पियन–मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय चैम्पियनशिपों के अंतर्गत वरिष्ठ श्रेणी (पुरुष व महिला दोनों) में प्रथम स्थान धारक

(iv) राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार विजेता

इस श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करने वाले आवेदक को राष्ट्रीय चैम्पियनशिपों का आयोजन करने वाली मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय फैडरेशन (युवा मामलें एवं खेल विभाग, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त) अथवा युवा मामलें एवं खेल विभाग, भारत सरकार से प्राप्त प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करनी होगी।

III. स्वतंत्रता सेनानी (एफएफ) :

स्वतंत्रता सेनानी का अर्थ है वे व्यक्ति जिनके पास ताम्रपत्र है और जिन्हें गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत पेंशन मिलती है।

इस श्रेणी के तहत आरजीजीएलवी के तहत आवेदन करने वाले व्यक्तियों को स्वतंत्रता सेनानी होने के अपने ताम्र पत्र या प्रमाणपत्र या उनके स्वतंत्रता सेनानी होने का गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृति पत्र के रूप में महा लेखाकार द्वारा जारी पेंशन आदेश की सत्यापित प्रति जमा करनी चाहिए।

स्वतंत्रता सेनानी श्रेणी में शैक्षिक योग्यता और सामान्य पात्रता के तहत आयु के मानदंड लागू नहीं होंगे।

4.3 **ओएमसी के वर्तमान एसकेओ डीलरों के लिए विशिष्ट पात्रता मापदंड :**

''उपरोक्त पैरा 4.1 और 4.2 के तहत पात्र आवेदक, निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर संबंधित 'ओएमसी के एसकेओ डीलर' की श्रेणी के तहत आरजीजीएलवी के लिए आवेदन कर सकते हैं :

क) विज्ञापन के माह के तत्काल पहले के 12 माह के दौरान एसकेओ में प्रति माह 75 कि.ली. से कम के औसत आवंटन पर प्रचालित ओएमसी के मौजूदा एकल प्रोपराईटर एसकेओ डीलर आरजीजीएलवी के लिए आवेदन के पात्र होंगे। आवेदक को राज्य सरकार/तेल कंपनी के मण्डलीय/टेरीटरी/क्षेत्रीय कार्यालय, जो भी लागू हो, के आवंटन प्राधिकारी की ओर से उक्त आवंटन का प्रमाण अपने आवेदन के साथ जमा करना होगा। ऐसे आवेदकों पर मल्टीपल डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप मानक लागू नहीं होंगे।

ख) एक भागीदारी फर्म या संस्था या कंपनी के रूप में प्रचालनरत एसकेओ डीलरों को आवेदन की पात्रता नहीं होगी।

ग) आवंटन के मामले में, एसकेओ डीलर को आरजीजीएलवी के लिए नियुक्ति पत्र जारी होने से पहले अपनी एसकेओ डीलरशिप का अभ्यर्पण करना होगा।

शेष अगले पृष्ठ पर ......

पिछले पृष्ठ का शेष भाग...

घ) आयु और शैक्षिक योग्यता :

आयु : अधिकतम ऊपरी आयु सीमा – 60 वर्ष

शैक्षिक योग्यता : मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम दसवीं कक्षा अथवा समकक्ष पास की हो।

ङ) आरजीजीएलवी के लिए आवेदन की पात्रता हेतु एसकेओ डीलर को विज्ञापन की तिथि से पूर्व पिछले 5 वर्षों के अंदर विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों के उल्लंघन के लिए कभी दंडित नहीं किया गया हो या उसकी डीलरशिप के खिलाफ विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों/डीलरशिप करार, कैरोसीन नियंत्रण आदेश या एस्मा के तहत कोई कार्रवाई लंबित नहीं होनी चाहिए।

च) एसकेओ डीलरों पर उपरोक्त पैरा सं. 3 में निर्दिष्ट सामान्य पात्रता मानदंड भी लागू होंगे।

5. **आवेदन** इस विज्ञापन में दिए गए निर्धारित प्रारूप के अनुसार सादे कागज पर (बेहतर होगा टाइप करके) किया जा सकता है।

6. **आवेदन प्रक्रिया शुल्क** : आवेदन पत्र रु. 1000/– (रुपए एक हजार मात्र) और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के मामले में (अनु.जाति/अनु.जनजाति का प्रमाण पत्र संलग्न करते हुए) रु. 500/– (रुपए पांच सौ मात्र) के अप्रतिदेय आवेदन शुल्क के साथ जमा करने होंगे।

7. **आरजीजीएलवी के लिए आवेदन पत्र** (इस विज्ञापन में दिए प्रारूप के अनुसार) **सभी संलग्नकों के साथ विधिवत भरकर** तथा किसी अनुसूचित बैंक में आहरित डिमांड ड्राफ्ट/पे–आर्डर द्वारा अप्रतिदेय शुल्क के साथ इस प्रकार से भेजे जाने जाये कि वह **नीचे दिए गए कार्यालय पते पर 07.10.2013 तक या उससे पूर्व अवश्य पहुंच जाए :**

विज्ञापित स्थान क्र.सं.		अनुसूचित बैंक द्वारा जारी डिमांड ड्राफ्ट/पे–ऑर्डर के पक्ष में	देय स्थान	संलग्नकों तथा आवेदन प्रक्रिया शुल्क के साथ आवेदन जमा करने हेतु कार्यालय पता
से	तक			
1 204	10 205	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	नोएडा/दिल्ली	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बीपीसी एलपीजी डिस्ट्रिब्यूटर सलेक्शन सेल, ग्राउंड फ्लोर, क्षेत्रीय कार्यालय, ए–5/6, सेक्टर 1, नोएडा, उ.प्र.–201301
11 206	51 245	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	लखनऊ	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बीपीसी एलपीजी डिस्ट्रिब्यूटर सलेक्शन सेल, 94, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ, उ.प्र.–226001
52 –	68 –	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	दिल्ली	मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, लोनी एलपीजी क्षेत्रीय कार्यालय, हस्तिनापुर योजना, गांव–तिल्ला शाहबाजपुर, पीओ–लोनी, गाजियाबाद यूपी–201102
69 246	101 276	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	लखनऊ	मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक, लखनऊ एलपीजी क्षेत्रीय कार्यालय, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, फ्लैट नं. 4. प्लाट नं. 1, नेहरु इन्कलेव, गोमती नगर, लखनऊ–226010
102 277	105 277	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	आगरा	सम्भागीय प्रबंधक, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमडी), इंडियन ऑयल भवन, 65/2 संजय प्लेस, आगरा–282002
106 278	125 282	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	नोएडा/दिल्ली	मुख्य सम्भागीय प्रबंधक, नोएडा सम्भागीय कार्यालय, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमडी), इंडियन ऑयल भवन 9वां तल, ए–1, सेक्टर 1, उद्योग मार्ग, नोएडा–201301
126 283	136 289	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	बरेली	वरिष्ठ सम्भागीय प्रबंधक, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमडी), 82, प्रेम नगर, बरेली–243 005
137 290	159 296	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	इलाहाबाद	वरिष्ठ सम्भागीय प्रबंधक, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमडी), 5वां तल, इंदिरा भवन, सिविल लाइन्स, इलाहाबाद–211 001
160 297	174 302	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	गोरखपुर	मुख्य सम्भागीय प्रबंधक, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमडी), चंद्रकांता भवन, न्यू बुधनगर, तारामंडल रोड, देवरिया बाईपास, गोरखपुर–273 016
175 303	203 314	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटे	लखनऊ	वरिष्ठ सम्भागीय प्रबंधक, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमडी), इंडियन ऑयल भवन, कपूर थला कॉम्पलक्स, लखनऊ–226024

8. **चयन प्रक्रिया मापदंड :**

पहले, विज्ञापित आरजीजीएलवी स्थान की ग्राम पंचायत में निवास करने वाले सभी योग्य आवेदकों में से ड्रॉ द्वारा चयन किया जाएगा। यदि ग्राम पंचायत से कोई भी योग्य आवेदक नहीं पाया जाता है या ग्राम पंचायत के सभी योग्य आवेदकों की सूची समाप्त हो जाती है तो ही विज्ञापित आरजीजीएलवी स्थान के तहसील में निवास करने वाले योग्य आवेदकों की सूची का ड्रॉ निकाला जाएगा।

उपरोक्त दी गई प्राथमिकतानुसार पात्रता मापदंड पूरा करने वाले सभी आवेदक ड्रॉ के लिए पात्र होंगे।

9. **शिकायत/शिकायत निवारण प्रणाली:**

किसी आवेदक के खिलाफ प्राप्त शिकायतों का निपटारा निम्नानुसार किया जाएगा :

क) शिकायतकर्ताओं को संबंधित तेल कम्पनी के पक्ष में रु. 1000/– का शिकायत शुल्क डिमांड ड्राफ्ट के रूप में शिकायत के साथ जमा करना होगा। जिन शिकायतों के साथ रु. 1000/– की राशि संलग्न नहीं होगी उनकी जांच नहीं की जाएगी।

ख) गुमनाम शिकायतों की सामान्यतः जांच नहीं की जाएगी।

ग) आवेदकों के विरूद्व प्राप्त शिकायतों की जांच केवल तभी की जाएगी यदि आवेदक को ड्रॉ में चुना जाता है।

घ) शिकायतों पर विचार केवल तभी किया जाएगा यदि वह ड्रॉ के परिणाम घोषित होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर संबंधित तेल कंपनी के कार्यालय में प्राप्त होती है।

ङ) यदि चुने गए आवेदक के विरूद्ध ड्रॉ के परिणाम घोषित होने के 30 दिनों के अंदर शिकायत प्राप्त होती है तभी इसकी जांच की जाएगी तथा उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

10. विवरणिका जिसमें विस्तृत दिशानिर्देश सहित पात्रता मानदंड और चयन की प्रक्रिया दी गई है, को उपर्युक्त पैरा 7 में दिए गए पते पर 50 रु. का भुगतान करके व्यक्तिगत तौर पर प्राप्त किया जा सकता है। यह संबंधित तेल कम्पनियों की वेबसाइटों www.iocl.com, www.ebharatgas.com, www.bharatpetroleum.in, www.hindustanpetroleum.com से भी डाउनलोड की जा सकती है।

11. **आरजीजीएलवी के प्रचालन के लिए अपेक्षित मूल संरचना सुविधाएं–एलपीजी भंडारण गोदाम तथा शोरूमः**

आरजीजीएलवी के लिए पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पी.ई.एस.ओ.) के मुख्य विस्फोटक नियंत्रक द्वारा अनुमोदित और लाइसेंस प्राप्त भंडारण गोदाम की आवश्यकता होगी जहां एलपीजी के सिलेंडरों का भण्डारण किया जा सके। एलपीजी गोदाम के निर्माण/प्रावधानों के लिए कृपया उपरोक्त सामान्य पात्रता मानदंडों के 3ज (i) और (ii) में उल्लिखित विवरण देखें।

गोदाम के समीप 2.6 मी. x 3 मी. के शोरूम का निर्माण करने की जरूरत होगी अथवा इसे पास की मौजूदा दुकान से भी चलाया जा सकता है, जो उसी गांव में गोदाम के स्थान से 500 मी. से अधिक दूरी पर स्थित न हो।

आरजीजीएलवी को उपभोक्ताओं के निवास पर एलपीजी सिलेंडर पहुंचाने की जरूरत नहीं होगी। एलपीजी सिलेंडर उपभोक्ताओं को अधिकृत लाइसेंस धारक एलपीजी गोदाम से लागू खुदरा बिक्री मूल्य (आरएसपी) पर दिए जाएंगे।

12. **कॉर्पस फंड योजना–अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अन्तर्गत आरक्षित आरजीजीएलवी स्थानों के लिए चुने गए प्रत्याशियों को वित्तीय सहायता :**

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अन्तर्गत आरक्षित आरजीजीएलवी स्थानों के लिए चुने गए उम्मीदवारों को संबंधित ऑयल कंपनी द्वारा गोदाम/अन्य सुविधाओं के निर्माण के लिए एक लाख रु. का आरक्षित ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इस राशि की वसूली नीति के अनुसार 14.2 कि.ग्रा. के सिलेंडरों पर वितरक के प्रति रिफिल कमीशन के 20 प्रतिशत की दर आधार पर की जाएगी।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित आरजीजीएलवी स्थानों के लिए संबंधित ऑयल कम्पनी आरजीजीएलवी के प्रचालन के लिए घटती हुई शेष राशि पर 11 प्रतिशत वार्षिक दर से पर्याप्त कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध कराएगी। कार्यशील पूंजी ऋण के साथ ही उसमें लगने वाले ब्याज की राशि, दोनों की वसूली 100 समान मासिक किश्तों में की जाएगी और ये किश्तें आरजीजीएलवी की कमीशनिंग के 13वें माह से शुरू होंगी।

13. **व्यक्तिगत निगरानी :**

आरजीजीएलवी के लिए चुने गए व्यक्तियों को व्यक्तिगत तौर पर इसका प्रबंध करना होगा। वह किसी अन्य प्रकार का रोजगार लेने का पात्र नहीं होगा/होगी। यदि कोई चुना गया व्यक्ति पहले से ही रोजगार में है तो उसे अपने वर्तमान रोजगार से त्याग पत्र देना होगा और ऑयल कम्पनी द्वारा नियुक्ति पत्र जारी करने से पहले नियोजक द्वारा स्वीकार किया गया त्याग–पत्र प्रस्तुत करना होगा। चुने गए व्यक्ति को ऑयल कम्पनी द्वारा नियुक्ति पत्र जारी करने से पहले नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र जमा करना होगा कि वह निजी क्षेत्र में रोजगार में नहीं है या वह राज्य/केंद्र सरकार से कोई वेतन/अनुलब्धि/परिलब्धि (पेंशन के अलावा) आहरित नहीं कर रहा है।

14. **आरजीजीएलवी को शुरु करना:**

चुने गए उम्मीदवारों के लिए विवरणों का फील्ड वेरीफिकेशन (एफवीसी) किया जाएगा और यदि उम्मीदवार द्वारा आवेदन में दी गई सूचना सही पाई जाती हैं तो ही आशय पत्र जारी किया जाएगा।

चुने गए उम्मीदवार को रु. 20,000/– (बीस हजार रूपए) की राशि एफवीसी से पहले संबंधित तेल कंपनी के पास जमा करनी होगी। यदि वह यह राशि जमा करने में असफल रहता है तो चयनित उम्मीदवार की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी।

चयनित उम्मीदवार द्वारा यदि आवेदन में झूठी/गलत/तोड़–मरोड़ कर जानकारी दी जाती है तो उस उम्मीदवार का चयन रदद् किये जा सकने के साथ एफवीसी से पहले जमा कि गई रु. 20,000/– की राशि भी जब्त की जा सकती है।

चुने गए उम्मीदवार जिन्हें आशय पत्र (एलओआई) जारी कर दिया गया है, को इसमें दी गई शर्तों और निबंधनों को पूरा करना होगा ताकि आरजीजीएलवी की कमीशनिंग निर्धारित समय के भीतर की जा सके। कार्य शुरु करने से पहले, नियुक्ति पत्र दिया जाएगा और आरजीजीएलवी करार निष्पादित किया जाएगा।

इस करार की आरंभिक अवधि शर्तों और निबंधनों के तहत प्रारंभ में 5 वर्ष के लिए होगी, तत्पश्चात् इसे निगम के स्व निर्णय पर प्रचालित दिशा–निर्देशों के अनुसार नवीनीकृत किया जा सकेगा।

15. **प्रतिभूति जमा :**

नियुक्ति पत्र जारी होने से पहले चुने गए उम्मीदवार को संबंधित तेल कंपनी के पास रु. 2 लाख (दो लाख रु.) की ब्याज मुक्त प्रतिदेय प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी। चुने गए उम्मीदवार से विवरणों के फील्ड वेरिफिकेशन (एफवीसी) से पहले ली गई रू. 20,000/– (बीस हजार रु.) की राशि इस जमा के प्रति समायोजित कर दी जाएगी। संबंधित तेल कंपनी को त्याग पत्र/निरस्तीकरण के समय इस राशि में से किसी भी देय राशि का समायोजन करने का अधिकार होगा। यद्यपि, सिद्ध कदाचार के आधार पर आरजीजीएलवी के निरस्तीकरण के मामले में कथित प्रतिभूति जमा राशि जब्त कर ली जाएगी।

16. **सामान्य :**

(क) कम्पनी के पास कोई भी कारण बताए बिना अपने विवेकानुसार इस विज्ञापन को रद्द करने/वापस लेने/संशोधित करने अथवा निर्धारित तिथि को आगे बढ़ाने का अधिकार होगा।

(ख) एक उम्मीदवार द्वारा एक से अधिक स्थानों के लिए आवेदन करने पर, प्रत्येक स्थान के संबंध में प्रत्येक मामले के लिए लागू आवेदन शुल्क सहित अलग आवेदन पत्र दिया जाना चाहिए।

(ग) आवेदक एक स्थान के लिए केवल एक ही आवेदन कर सकते हैं। यदि एक व्यक्ति से एक से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो उन्हें समाहित करके एक ही आवेदन माना जाएगा और अन्य सभी आवेदनों का शुल्क जब्त कर लिया जाएगा।

(घ) आरजीजीएलवी के लिए आवेदन पत्र विज्ञापन में दिए गए प्रारूप के अनुसार सादे कागज पर साफ–साफ लिखकर अथवा टाइप करके जमा किया जा सकता है। आवेदक को आवेदन पत्र के सभी पृष्ठों, संलग्न किए गए शपथ पत्रों सहित प्रत्येक पृष्ठ पर, पृष्ठ संख्या डालनी होगी और अपने हस्ताक्षर करना होगा। सभी शपथ पत्रों/वचन पत्रों को आवेदन पत्र के साथ मूल रूप में संलग्न करना होगा।

(ङ) केवल वे दस्तावेज जो आवेदन पत्र में मांगे गए हैं, वे ही आवेदन के साथ जमा किए जाए। आवेदन के साथ संलग्न अन्य किसी दस्तावेजों पर विचार नहीं किया जाएगा।

(च) डाक में देरी सहित अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। संबंधित ऑयल कंपनी द्वारा इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।

(छ) 'खुली' श्रेणी के अंतर्गत विज्ञापित स्थानों को छोड़कर अन्य के लिए पात्रता प्रमाणपत्र आवेदन के साथ अवश्य जमा करना होगा। यद्यपि, रक्षा कार्मिक श्रेणी के तहत आवेदन करने वाले आवेदकों के पास लॉट के ड्रॉ के दिन भी डीजीआर से मूल पात्रता प्रमाणपत्र जमा करने का विकल्प होगा।

(ज) यदि आवेदन पत्र में दी गई कोई जानकारी अथवा उसके साथ संलग्न किए गए दस्तावेज में या आवेदन पत्र के संदर्भ में बाद में किसी भी स्तर पर उम्मीदवार द्वारा दी गई कोई जानकारी छुपाई गई हो/गलत रूप से पेश की गई हो/गलत या झूठी पाई जाती है जो योग्यता पर प्रतिकूल असर डालती हो, तो आवेदन पत्र को बिना कारण बताए निरस्त किया जा सकता है और यदि आवेदक को आरजीजीएलवी के रूप में नियुक्त कर लिया जाता है तो उसे रद्द कर दिया जाएगा। ऐसे मामले में उम्मीदवार/आरजीजीएलवी का संबंधित ऑयल कंपनी के विरुद्ध कोई दावा मान्य नहीं होगा।

(झ) आवेदक को आवेदन पत्र के विभिन्न मदों में उल्लिखित सभी जानकारियां देनी चाहिए। यदि चुना जाता है तो सत्यापन के समय आवेदक को आवेदन में दी गई जानकारी के समर्थन में सभी मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। सत्यापन के समय इन दस्तावेजों को मूल रूप में प्रस्तुत करने में असफल रहने पर एफवीसी से पहले चुने गए प्रत्याशी द्वारा जमा की गई रु. 20,000/– की राशि जब्त होने के साथ चयन रद्द हो जाएगा।

(ञ) विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र को भेजे जाने वाले लिफाफे पर साफ–साफ अक्षरों में निम्न प्रकार से लिखा जाए **"यह आवेदन पत्र .... (ऑयल कम्पनी का नाम) की .... स्थान के लिए 'राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरक' हेतु है"।**

(ट) यह पूर्णतः एक व्यापारिक प्रस्ताव है और संबंधित ऑयल कम्पनी में किसी नौकरी के लिए आवेदन नहीं है और इसमें सामान्य व्यापार के जोखिम है और यह किसी प्रकार के निश्चित लाभ अथवा प्रतिलाभ की गारंटी नहीं देता।

(ठ) यह केवल आवेदन पत्र है और आरजीजीएलवी के लिए प्रस्ताव नहीं है।

(नीले/काले बाल प्वाइंट पेन का प्रयोग करके स्पष्ट अक्षरों में फार्म भरें)

अभ्यर्थी कृपया आवेदन करने से पहले सामान्य अनुदेश पढ़ें।

कार्यालय उपयोग हेतु आवेदक द्वारा न भरा जाए	कार्यालय कोड	क्रम संख्या	दि. दि. – माह माह – वर्ष वर्ष आवेदन प्राप्त होने की तिथि	**हाल ही का पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ नमूना हस्ताक्षर सहित जो फोटोग्राफ के आर–पार जाता हुआ हो**

राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरक (आरजीजीएलवी) के लिए आवेदन

कृपया अपने स्थान की तेल कम्पनी का नाम लिखें (बीपीसी या आईओसी या एचपीसी)

आवेदन शुल्क का विवरण ₹

डिमांड ड्राफ्ट नं. | **दिनांक** दि. दि. – माह माह – वर्ष वर्ष

शाखा पर आहरित (बैंक का नाम) | **शाखा पर देय**

के पक्ष में देय (तेल कम्पनी का पूरा नाम)

(एससी/एसटी आवेदकों को छोड़कर सभी आवेदकों के लिए रु. 1000/– (एक हजार रु. मात्र) आवेदन प्रक्रिया शुल्क। एससी/एसटी अभ्यर्थियों हेतु प्रक्रिया शुल्क रु. 500/– (पांच सौ रु. मात्र) एससी/एसटी प्रमाणपत्र संलग्न करने पर)।

1	आरजीजीएलवी स्थान का नाम	
2क	ग्राम पंचायत स्थान***	
2ख	तहसील***	
3	जिला	
4	राज्य	
5	श्रेणी	

{एससी/एसटी, एससी/एसटी (जीपी), एससी/एसटी (सीसी), ओबीसी, ओबीसी (जीपी), ओबीसी (सीसी), खुली (जीपी), खुली (सीसी)} आवेदक कृपया पात्रता मानदंड में उल्लिखित विवरण के अनुसार अपने सक्षम प्राधिकारी से साक्ष्य के रूप में प्रमाणपत्र की एक प्रति संलग्न करें। 'खुली' श्रेणी के अंतर्गत स्थानों के लिए लागू नहीं।

6 विज्ञापन की तिथि दिन दिन – माह माह – वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष (कृपया यहाँ समाचार पत्र का नाम लिखें)

7 आवेदक परिशिष्ट–क में दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ–पत्र संलग्न करें

7.1 नाम — प्रथम नाम / मध्य नाम / उपनाम

7.2 **पिता / पति का नाम** **श्री** — शीर्षक / प्रथम नाम / मध्य नाम / उपनाम

7.3 **पता** — **पिन कोड :**

मोबाइल नं.

टेलीफोन नं. – **ई–मेल :**

7.4 **भारतीय नागरिक**	**हाँ**	**नहीं**
निवासी	(गांव का नाम)	
ग्राम पंचायत* **	(ग्राम पंचायत का नाम)	
तहसील* **	(तहसील का नाम)	
जिला	(जिला का नाम)	
राज्य	(राज्य का नाम)	

*** विज्ञापन की मद सं. 1 में दिए अनुसार राज्य का संगत राजस्व/प्रशासनिक अवसंरचना दर्शाएं।

7.5 **लिंग** पुरुष / महिला

7.6 **जन्म तिथि** दिन दिन – माह माह – वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष **आयु** वर्ष माह दिन

आवेदन की तिथि पर आयु

7.7 **वैवाहिक स्थिति** | **अविवाहित** | **विवाहित** | **विधवा** | **विधुर** | **तलाकशुदा** | जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

7.8 पति/पत्नी का नाम (यदि विवाहित हैं)

8 **शैक्षिक योग्यता (पात्रता मानदण्ड के अनुसार न्यूनतम)**

योग्यता	बोर्ड /विश्वविद्यालय	उत्तीर्ण वर्ष
माध्यमिक अर्थात् मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं परीक्षा अथवा समकक्ष		

कृपया नीचे बिंदु 9 पर सूचना प्रदान करने से पहले सामान्य अनुदेश की मद संख्या 9 को पढ़ें।

9 आवेदक/'पारिवारिक इकाई' में परिवार के सदस्य या आवेदक के माता–पिता/दादा–दादी – नाना–नानी के नाम पर विज्ञापित आरजीजीएलवी स्थान पर एलपीजी गोदाम के निर्माण के लिए भूमि/एलपीजी सिलेंडर भंडारण के तैयार गोदाम का निम्नलिखित विवरण प्रदान करें। यदि यह भूमि आवेदक की पारिवारिक इकाई के सदस्य/माता–पिता/दादा–दादी – नाना–नानी के नाम पर है तो परिशिष्ट – ख के अनुसार नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र जमा करना होगा। यदि यह भूमि किसी अन्य व्यक्ति (यों) के साथ आवेदक/ आवेदक की पारिवारिक इकाई** के सदस्य/ माता–पिता/दादा–दादी – नाना–नानी के स्वामित्व में है और आवेदक/पारिवारिक इकाई के सदस्य/माता–पिता/दादा–दादी – नाना–नानी के हिस्से वाली भूमि गोदाम की भूमि की आवश्यकताएं पूरी करती है तो परिशिष्ट झ के अनुसार नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र के रूप में सहस्वामी (यों) से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र जमा करना होगा।**

भूस्वामी (यों) का नाम	आवेदक के साथ संबंध	पंजीकृत विक्रय विलेख / उपहार विलेख / दाखिल / खारिज की तिथि	एलपीजी गोदाम के लिए भूमिस्थल का (गांव के नाम सहित) पता	खसरा सं./ सर्वे सं.	भूमि के आयाम* लंबाई (मीटर में)	भूमि के आयाम* चौड़ाई (मीटर में)

***स्वामित्व वाली कुल भूमि में से प्रस्तावित गोदाम के प्रयोजनार्थ उपयोग किए जाने वाले भूखंड के आयामों का उल्लेख करें।**

टिप्पणीः (1) 21 मीटर x 26 मीटर न्यूनतम परिमाप से कम भूखण्ड पर विचार नहीं किया जाएगा।

(2) भूमि के दस्तावेज विज्ञापन या शुद्धिपत्र (यदि कोई हों) में निर्दिष्ट आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को या उसके पूर्व के होने चाहिए तथा इनका सत्यापन फील्ड वेरिफिकेशन के दौरान किया जाएगा।

कृपया नीचे बिंदु संख्या 10 और 11 पर सूचना प्रदान करने से पहले सामान्य अनुदेश की मद संख्या 10 और 11 को पढ़ें:

10 **बैंक/डाकघर में बचत बैंक खाते में राशि** आवेदक और 'पारिवारिक इकाई'** के सदस्यों के नाम पर। पारिवारिक इकाई** के सदस्य (यों) से परिशिष्ट–ख में दिए गए प्रारूप के अनुसार नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र जमा किया जाए।

क्र. सं.	बैंक का नाम	बचत खाता सं.	खाताधारकों के नाम	आवेदक के साथ संबंध	राशि
1					रु. –
2					रु. –
3					रु. –
4					रु. –
				कुल	रु. –

शब्दों में कुल राशि :

टिप्पणी : प्रत्येक मामले में उपरोक्त घोषित राशि आवेदन जमा करने की निर्दिष्ट अंतिम तिथि, जैसा कि विज्ञापन या शुद्धिपत्र (यदि कोई हों) में बताया गया है, पर समापन शेष के अनुसार उपलब्ध होनी चाहिए तथा इनका सत्यापन फील्ड वेरिफिकेशन के दौरान किया जाएगा।

11 **सावधि जमा/एनएससी/शेयर/एमएफ आदि** आवदेक और 'परिवारिक इकाई** के सदस्यों के नाम। 'परिवारिक इकाई** के सदस्य (सदस्यों) द्वारा संलग्न प्रारूप परिशिष्ट–ख के अनुसार शपथपत्र सलंग्न किया जाए।

क्र. सं.	निवेश का प्रकार– एफडी/एनएससी/पीपीएफ/शेयर/म्युचुअल फंड आदि	तिथि सहित संदर्भ सं.	धारक (कों) का नाम	आवेदक के साथ संबंध	प्रारंभिक निवेश की राशि	आवेदन की तिथि को मूल्य (राशि)
1						रु. –
2						रु. –
3						रु. –
4						रु. –
					कुल	रु. –

शब्दों में कुल राशि :

टिप्पणी :

(1) उपरोक्त घोषित निवेश आवेदन जमा करने की निर्दिष्ट अंतिम तिथि, जैसा कि विज्ञापन या शुद्धिपत्र (यदि कोई हों) में बताया गया है, के अनुसार उपलब्ध होना चाहिए तथा इनका सत्यापन फील्ड वेरिफिकेशन के दौरान किया जाएगा।

(2) उपरोक्त दर्शाया गया मूल्य (राशि) आवेदन की तिथि पर होनी चाहिए।

12 क्या आपको कभी किसी आपराधिक मामले, जिसमें नैतिक दुराचार और/या आर्थिक अपराध (स्वतंत्रता संग्राम के अतिरिक्त) शामिल है, के लिए किसी कानूनी न्यायालय द्वारा दोषी करार दिया गया है अथवा कानूनी न्यायालय द्वारा कोई आरोप तय किया गया है। (यदि हां तो आप आवेदन करने के पात्र नहीं हैं)।	**हां / नहीं** जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

13 ओएमसी के मौजूदा एसकेओ (कैरोसीन) डीलरों द्वारा दी जाने वाली अतिरिक्त जानकारी

i. **एसकेओ डीलरशिप का नाम**					
ii. **एसकेओ डीलरशिप का स्थान**					
iii. **जिला**					
iv. **राज्य**					
v. **डीलरशिप की श्रेणी**					
vi. **एसकेओ डीलरशिप की ऑयल कंपनी का नाम**	**आईओसी**	**बीपीसी**	**एचपीसी**		जो लागू नहीं हो उसे काट दें।
vii. **डीलरशिप का गठन**	**स्वामित्व**	**भागीदारी**	**सोसाइटी**	**कंपनी**	जो लागू नहीं हो उसे काट दें।
(केवल एकमात्र स्वामित्व वाली एसकेओ डीलरशिप ही आवेदन की पात्र है)					
viii. **इस आरजीजीएलवी के विज्ञापन के माह के तत्काल पहले के 12 माह के दौरान एसकेओ में प्रति माह औसत आवंटन।**					औसत कि.ली./माह

(75 कि.ली. या इससे अधिक एसकेओ में प्रति माह औसत आबंटन होने पर एसकेओ डीलर को आवेदन की पात्रता नहीं होगी)

कृपया इस आरजीजीएलवी के विज्ञापन के माह के तत्काल पहले के 12 माह के दौरान माह–वार आवंटन की प्रति संलग्न करें, जिसे राज्य सरकार के आवंटन प्राधिकारी / तेल विपणन कंपनी के मंडल/टेरीटरी/क्षेत्रीय कार्यालय के द्वारा जारी किया गया हो।

14 आवेदक द्वारा घोषणा :

मुझे ज्ञात है कि उपर्युक्त आवेदन में दी गई सूचना के आधार पर आरजीजीएलवी के लिए पात्रता तय की जाएगी। तेल कम्पनी द्वारा जांच किए जाने पर यदि यह पाया जाता है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी गलत/असत्य/भ्रामक है तो मेरी पात्रता रद्द हो जायेगी और मैं आरजीजीएलवी के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाऊंगा।

मैं यह भी पुष्टि करता हूं कि चयनित हो जाने पर, इस आवेदन में मेरे द्वारा दी गई सूचना का समर्थन करने वाले मूल दस्तावेज प्रस्तुत करूंगा और इन मूल दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में असफल रहने पर मेरा चयन रद्द कर दिया जाएगा।

मुझे पूर्ण रूप से ज्ञात है कि यदि मैं किसी कारणवश मुख्य विस्फोटक नियंत्रक (पी.ई.एस.ओ.) के कार्यालय द्वारा पूर्णरूपेण स्वीकृत एलपीजी गोदाम और/या तेल कम्पनी के मानक लेआउट के अनुसार शोरूम उपलब्ध कराने में असमर्थ रहा तो मुझे आरजीजीएलवी का दिया गया आवंटन रद्द हो जाएगा।

मुझे पूर्ण रूप से ज्ञात है कि अगर मैं नौकरी कर रहा हूं तो मुझे नौकरी से इस्तीफा देना होगा और आरजीजीएलवी योजना के अन्तर्गत डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए नियुक्तिपत्र जारी होने के पहले अपने नियोक्ता से अपने इस्तीफे की स्वीकृति का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। ऐसा करने में असमर्थता मेरे चयन को रद्द कर देगी।

मुझे यह भी ज्ञात है कि मैं राज्य/केंद्र सरकार से कोई वेतन/परिलब्धि/अनुलब्धि (प्राप्त पेंशन के अलावा) आहरित नहीं कर सकता हूं और आरजीजीएलवी के रूप में नियुक्ति के समय मुझे इन लाभों को छोड़ना होगा। इस शर्त का पालन करने में असफल रहने पर मेरा चयन रद्द हो जायेगा।

मुझे ज्ञात है कि यदि मैं विवाहित हूं तो मेरी पत्नी/मेरे पति मेरे साथ आरजीजीएलवी की सह–स्वामी होगें।

मैं वचन देता हूं कि यदि मेरा चयन हो जाता है तो मैं कॉर्पोरेशन के नीति के अनुसार ब्याज मुक्त प्रतिभूति राशि जमा करवाऊंगा।

मुझे ज्ञात है कि यदि मुझे चुना जाता है तो मुझे एफवीसी से पहले प्रतिभूति जमा राशि की 10 प्रतिशत राशि अर्थात रु. 20,000/– जमा करने होंगे। यदि ऐसा पाया जाता है कि मेरे द्वारा गलत/झूठी/भ्रामक जानकारी दी गई है तो मेरी उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी और एफवीसी से पहले जमा किये गये रु. 20,000/– की राशि जब्त हो जाएगी।

मैंने विज्ञापन में उल्लिखित आरजीजीएलवी के लिए लागू शर्तों एवं निबंधनों को पढ़ लिया है और पुष्टि करता हूं कि मैं आरजीजीएलवी के योग्यता मापदंड को पूरा करता हूं जिसके लिए मैंने इस आवेदन पत्र में आवेदन किया है।

यह आवेदन पत्र जमा करने से पहले मैनें मद सं. 15 में दी गई जांच सूची का सत्यापन कर लिया है और यह सत्य एवं सही है।

वचन

मैं .... पुत्री/पुत्र/पत्नी श्री .... एतद्द्वारा पुष्टि करता हूं कि उपर्युक्त सूचना सत्य एवं सही है। किसी गलत सूचना/मिथ्या जानकारी/सत्य को छिपाने पर मैं इस आरजीजीएलवी के लिए अपात्र हो जाऊंगा/जाऊंगी।

स्थान :.............................. **आवेदक का हस्ताक्षर** ....

दिनांकः दिन दिन – माह माह – वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष **आवेदक का नाम** .... (स्पष्ट अक्षरों में नाम)

15.	**आवेदकों के लिए जांच सूची**	
	(टिप्पणीः जांच सूची में सभी मदों के सामने चैक बॉक्स को भरना आवश्यक है।)	
क्र. सं.	**जांच एवं पुष्टि किये जाने वाले दस्तावेज/कार्यविधि**	**चैक बॉक्स# (✓/✗)**
1	मैनें डीडी सं. .... दिनांक .... (सत्यापित राशि, संबंधित कम्पनी के पक्ष में .... स्थान पर देय) को संलग्न कर दिया है।	
2	मैनें वर्तमान पासपोर्ट साइज़ फोटो चिपकाकर उसमें आर–पार हस्ताक्षर कर दिये हैं।	
3	मैनें संबंधित श्रेणी के लिए लागू योग्यता प्रमाणपत्रों की प्रतियों को संलग्न कर दिया है।	
4	मैनें परिशिष्ट–क के अनुसार दिए गए निर्धारित प्रपत्र में नोटरीकृत मूल शपथ पत्र संलग्न कर दिया है।	
5	मैनें परिशिष्ट–ख, जैसा लागू हो, के अनुसार नोटरीकृत मूल शपथ पत्र संलग्न कर दिया है।	
6	मैनें परिशिष्ट–झ, जैसा लागू हो, के अनुसार भूमि के संयुक्त स्वामित्व के लिए नोटरीकृत मूल शपथ पत्र संलग्न कर दिया है।	
7	मैनें मूल नोटरीकृत शपथ पत्र–परिशिष्ट–च के अनुसार ओ.बी.सी. के लिए लागू घोषणापत्र/वचनपत्र संलग्न कर दिया है।	
8	मैनें योग्यता मापदंडों के अनुसार आवेदन की तिथि को अपनी आयु की जांच कर ली है।	
9	मैं यह पुष्टि करता हूँ कि मैं विज्ञापित आरजीजीएलवी स्थान की ग्राम पंचायत अथवा संबंधित राज्य मे लागू संगत राजस्व/प्रशासनिक अवसंरचना जो कि विज्ञापन वर्णित है, का निवासी हूँ जिसके लिए यह आवेदन जमा किया गया है।	
10	मैं यह पुष्टि करता हूँ कि मैं विज्ञापित आरजीजीएलवी स्थान की ग्राम पंचायत का निवासी नहीं हूँ, मैं तहसील का निवासी हूँ अथवा मैं संबंधित राज्य मे लागू संगत राजस्व/प्रशासनिक अवसंरचना जो कि विज्ञापन वर्णित है, का निवासी हूँ जिसके लिए यह आवेदन जमा किया गया है।	
11	मैं यह पुष्टि करता हूँ कि मैनें मान्यता प्राप्त बोर्ड में न्यूनतम 10वीं कक्षा परीक्षा या समकक्ष पास की है।	
12	मैं यह पुष्टि करता हूँ कि विज्ञापित स्थान पर गोदाम के लिए मेरे नाम/ पारिवारिक ईकाई** के सदस्यों के नाम अथवा मेरे माता–पिता एवं दादा–दादी, नाना–नानी के नाम की स्वामित्व वाली भूमि है और यह विज्ञापन के खण्ड सं. 3 (ज) में स्वामित्व मापदण्डों सहित योग्यता शर्तों को पूरा करती है। (कृपया आरजीजीएलवी के लिए सामान्य अनुदेश का मद सं. 9 का अवलोकन करें)।	
13	मैं यह पुष्टि करता हूँ कि मेरे पास विज्ञापन के खण्ड सं. 3(छ) पर योग्यता मापदण्डों के अनुसार न्यूनतम निधि रु. 4.0 लाख (अ.जा./अ.ज.जा. श्रेणी के लिए रु. 2.0 लाख) है। (कृपया मद सं. 10 एवं 11 में आरजीजीएलवी के लिए आवेदन हेतु उम्मीदवारों के लिए सामान्य अनुदेशों का अवलोकन करें)। मैं यह भी पुष्टि करता हूँ कि मैनें आवेदन में ''पारिवारिक ईकाई**'' से बाहर के सदस्यों के साथ संयुक्त खाता की राशि को नहीं दर्शाया है।	
14	मैं यह पुष्टि करता हूँ कि मैनें नाम, तिथि एवं स्थान के साथ आवेदन के अंत में (मद संख्या 14) पर दिए गए वचन पत्र पर हस्ताक्षर कर लिए हैं।	
15	मैं यह पुष्टि करता हूँ कि मैनें आवेदन के सभी पृष्ठों पर नं. डालकर हस्ताक्षर कर लिये है।	
16	कि सभी संलग्नकों सहित आवेदन में कुल पृष्ठों की संख्या .... है।	
17	मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि आवेदन सभी दृष्टियों से पूर्ण है तथा सभी अपेक्षित दस्तावेज संलग्न है।	

तिथि	**स्थान**	**आवेदक का नाम**	**हस्ताक्षर**

जँहा भी जांच सूची में कोई भी मद लागू नहीं है तो आवेदक चैक बॉक्स में ''लागू नहीं'' दर्शाएं।

सम्पूर्ण आवेदन के प्रयोजन हेतु विवाहित आवदेक की **''पारिवारिक ईकाई**''** में स्वयं आवेदक, आवेदक के पति/पत्नी, अविवाहित पुत्र/पुत्री (यां) और अविवाहित आवेदक की ''परिवार ईकाई**'' में स्वयं आवेदक, आवेदक के माता पिता और आवेदक के अविवाहित भाई/बहिनें शामिल हैं।

आरजीजीएलवी के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए सामान्य अनुदेश

मद सं.	निर्देश	सत्यापन के समय आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले समर्थन दस्तावेज
1	विज्ञापन के अनुसार जिस स्थान के लिए आवेदन किया गया है, उसका नाम लिखें।	
2(क) एवं 2(ख)	विज्ञापन के अनुसार जिस स्थान के लिए आवेदन किया है उसकी ग्राम पंचायत एवं तहसील (अथवा विज्ञापन की मद सं. 1 में विनिर्देशित नाम) का नाम लिखें।	
3	विज्ञापन के अनुसार जिस स्थान के लिए आवेदन किया गया है, उसके जिले का नाम लिखें।	
4	विज्ञापन के अनुसार जिस स्थान के लिए आवेदन किया गया है, उसके राज्य का नाम लिखें।	
5	विज्ञापन के अनुसार जिस स्थान के लिए आवेदन किया गया है, उसकी श्रेणी का नाम लिखें।	जैसा लागू हो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए पात्रता प्रमाणपत्र। जाति वैधता प्रमाणपत्र, जैसा लागू हो। उदाहरण के लिए यदि स्थान की श्रेणी एससी (सीसी) है तो आवेदक को एससी तथा सीसी दोनों श्रेणियों के लिए पात्रता प्रमाणपत्र देना होगा। इसी प्रकार ओबीसी के मामले में आवेदक को ओबीसी के पात्रता प्रमाणपत्र के साथ ओबीसी और नॉन क्रीमी लेयर स्थिति दोनों में होने के लिए घोषणा/ वचन (नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र) देने होंगे।
6	मद संख्या 1 में उल्लेखित स्थान के लिए जिस समाचार पत्र में विज्ञापन मिला है, उसका नाम और तारीख लिखें।	
7	मद संख्या 7.1 से 7.8 के लिए परिशिष्ट–क में दिए गए प्रारूप के अनुसार व्यक्तिगत विवरण भरे जाएं और नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र जमा किए जाए	सक्षम प्राधिकारी से मानक प्रारूप में निवास प्रमाणपत्र। जन्म तिथि का प्रमाण – 10वीं कक्षा बोर्ड प्रमाणपत्र/जन्म प्रमाणपत्र/पासपोर्ट/पैन कार्ड
8	शिक्षा	मूल मेट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र या समकक्ष मान्यता प्राप्त परीक्षा का प्रमाणपत्र
9	गोदाम के लिये भूंखड या तैयार गोदाम के विवरण, जो निम्नलिखित आवश्यकताएं पूरी करते होंः **आवेदक के पास अपने स्वयं काः–** विज्ञापित आरजीजीएलवी स्थान पर सिलेंडरों में 5000 कि.ग्रा. एलपीजी के भंडारण के लिए एलपीजी गोदाम के निर्माण हेतु 21 मीटर x 26 मीटर न्यूनतम परिमाप का भूखण्ड होना चाहिए। गोदाम के निर्माण के लिए 21 मीटर x 26 मीटर न्यूनतम परिमाप का भूखण्ड न होने पर विचार नहीं किया जाएगा। **अथवा** विज्ञापित आरजीजीएलवी स्थान पर 5000 किग्रा. एलपीजी सिलेण्डरों के भंडारण की क्षमता का तैयार गोदाम (टिप्पणीः यदि वहां पर एलपीजी गोदाम के निर्माण के लिए लागू राज्य विनिर्देशित आवश्यकताएं/ मानक हैं तो यह संबंधित आरजीजीएलवी स्थानों के लिए भी लागू होंगे तथा उस संबंधित राज्य में विज्ञापन के	आवेदक/पारिवारिक इकाई के सदस्य/ आवेदक के माता–पिता/दादा–दादी – नाना–नानी के नाम पर भूमि/गोदाम के संबंध में दस्तावेजः पंजीकृत विक्रय विलेख/उपहार विलेख/दाखिल–खारिज तथा राजकीय अभिलेख आदि। भूमि दस्तावेज की तिथि विज्ञापन या शुद्धिपत्र (यदि कोई हों) में उल्लिखित आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को या इससे पहले की होनी चाहिए। आवेदक के पारिवारिक इकाई के सदस्य/ माता–पिता/दादा–दादी – नाना–नानी के नाम पर भूमि के संबंध में उक्त परिवार के सदस्यों की सहमति नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र (परिशिष्ट–ख) के रूप में आवेदन के साथ संलग्न की जाए।

शेष अगले पृष्ठ पर ......

	विनिर्धारित अनुसार भूखण्ड के लिए संशोधित न्यूनतम परिमाप लागू होंगे।) भूखण्ड अथवा तैयार एलपीजी सिलेण्डर भण्डारण गोदाम पर सभी मौसमों में वाहन जाने योग्य सड़क (सार्वजनिक सड़क या सार्वजनिक सड़क से जुड़ने वाली निजी सड़क) होनी चाहिए। सार्वजनिक सड़क से जुड़ने वाली निजी सड़क के मामले में यह आवेदक/परिवार के सदस्य की होनी चाहिए, जैसा भूमि के स्वामित्व मापदंडों में विज्ञापन की मद संख्या 3(ज) (iii) में परिभाषित किया गया है। भूमि समतल होनी चाहिए, प्लॉट एक ही टुकड़े में होना चाहिए, लाइव ओवरहैड पॉवर ट्रांसमिशन लाइनों अथवा टेलीफोन लाइनों से मुक्त होना चाहिए। भूखंड में से नहर/ ड्रेनेज/नाला आदि नहीं गुजरना चाहिए। एलपीजी गोदाम के निर्माण की भूमि/एलपीजी गोदाम को लोक निर्माण विभाग/राजमार्ग प्राधिकरण /टाउन और कंट्री प्लानिंग विभाग आदि जैसे विभिन्न सांविधिक निकायों के मानकों को भी पूरा करना चाहिए आरजीजीएलवी के लिए एलपीजी सिलेण्डरों के भण्डारण हेतु पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) के मुख्य विस्फोटक नियंत्रक द्वारा स्वीकृत एवं लाइसेंस प्राप्त भण्डारण गोदाम की आवश्यकता होगी।	यदि यह भूमि किसी अन्य व्यक्ति (यों) के साथ आवेदक/पारिवारिक इकाई के सदस्य/ माता–पिता/दादा–दादी – नाना–नानी के संयुक्त स्वामित्व में है और आवेदक/पारिवारिक इकाई के सदस्य/माता–पिता/दादा–दादी – नाना–नानी के हिस्से वाली भूमि गोदाम की भूमि की आवश्यकताएं पूरी करती है तो परिशिष्ट–झ के अनुसार संयुक्त स्वामियों की ओर से अनापत्ति प्रमाण पत्र जमा करना होगा। "पारिवारिक इकाई" को महत्वपूर्ण टिप्पणी के अन्तर्गत नीचे परिभाषित किया गया है।
10	स्वयं अपने नाम पर एवं ''पारिवारिक इकाई'' के सदस्यों के नाम पर बैंक/डाकखाने में बचत खाते की राशि आवेदन जमा करने की निर्दिष्ट अंतिम तिथि, जैसा कि विज्ञापन या शुद्धिपत्र (यदि कोई हों) में बताया गया है, पर समापन शेष के अनुसार उपलब्ध होनी चाहिए, तथा केवल इसी समापन शेष पर विचार किया जाएगा। ''पारिवारिक इकाई'' के बाहर के सदस्यों के साथ संयुक्त खाते में रखी गई राशि का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए तथा इस पर विचार नहीं किया जाएगा। परिशिष्ट–ख में दिए गए प्रारूप के अनुसार नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र संलग्न करें।	बचत बैंक खाते का विवरण/पासबुक जिससे विज्ञापन या शुद्धिपत्र (यदि कोई हों) में निर्दिष्ट आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि पर समापन शेष के रूप में उपलब्ध आवेदन में उल्लिखित राशि का सत्यापन किया जा सके।
11	स्वयं अपने नाम पर और ''पारिवारिक इकाई'' के सदस्यों के नाम पर बॉन्ड/एनएससी में निवेश – आवेदन की तिथि पर मूल्य (राशि) स्वयं अपने नाम पर और ''पारिवारिक इकाई'' के सदस्यों के नाम पर अनुसूचित बैंक/डाकखाने/ सूचीबद्ध कंपनियों/सरकारी संगठन/पीएसयू में सावधि जमा/टर्म जमा/पीपीएफ, किसान विकास पत्र – आवेदन की तिथि पर मूल्य (राशि) विज्ञापन या शुद्धिपत्र (यदि कोई हों) में निर्दिष्ट आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि पर आवेदन में घोषित निवेश सत्यापन के लिए उपलब्ध होना चाहिए। परिशिष्ट 'ख' के अनुसार नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र संलग्न करें (यदि लागू हो) ''पारिवारिक इकाई'' के बाहर के सदस्यों के साथ संयुक्त खाते में रखी गई राशि का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए तथा इस पर विचार नहीं किया जाएगा।	समर्थन के सभी दस्तावेज, जिनके आधार पर राशि को बिंदु संख्या 11 में आवेदन की तिथि के अनुसार घोषित किया गया है, उपलब्ध किये जाए। बैंक/डाकखाने या संबंधित वित्तीय संस्थान/ जारीकर्ता संगठन द्वारा प्रमाणित निवेश दस्तावेजों के लिए आवेदन की तिथि के अनुसार घोषित मूल्य (राशि)। सावधि जमा/पीपीएफ/टर्म जमा/बॉन्ड/ एनएससी आदि के मामले में इनकी परिपक्वता राषि आवेदन की तिथि और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि, विज्ञापन या शुद्धिपत्र (यदि कोई हों) में निर्दिष्ट, के बीच होने पर आवेदक को घोषित राशि के पुनः निवेश के प्रमाण के रूप में आवेदन की मद संख्या 10 और 11 में उल्लिखित अन्य कोई प्रपत्र प्रस्तुत करने चाहिए। उक्त निवेश की तिथि विज्ञापन या शुद्धिपत्र में (यदि कोई हों) में दी गई आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को या उसके पूर्व होनी चाहिए।
	आवेदन की तिथि पर एनएवी पर आधारित म्युचुअल फंड/सूचीबद्ध शेयर/यूलिप में निवेश	आवेदन की तिथि पर मूल्य, जिसे सरकार द्वारा अनुमोदित मूल्यांकनकर्ता या संबंधित वित्तीय संस्थान द्वारा प्रमाणित किया गया हो /चार्टर्ड एकाउंटेंड द्वारा प्रमाणित।
	धन की राशि, जो आवेदक बीमा पॉलिसी के अभ्यार्पण पर प्राप्त कर सकता है।	बीमा कंपनी से प्रमाणपत्र।
12	किसी न्यायालय ने कभी भी किसी आपराधिक वारदात के लिए जिसमें नैतिक पतन और/या आर्थिक अपराध शामिल हैं (स्वतंत्रता संग्राम को छोड़कर) दोषी करार दिया है, और/या आरोप तय किए गये हैं	परिशिष्ट–क में प्रारूप के अनुसार नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र जमा किया जाए।
13	मद संख्या i से viii तक एसकेओ (कैरोसीन) डीलरों द्वारा प्रदान की जाने वाली अतिरिक्त जानकारी	परिशिष्ट–क में प्रारूप के अनुसार नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र जमा किया जाए। इस आरजीजीएलवी के विज्ञापन के माह के तत्काल पहले के 12 माह के दौरान एसकेओ में प्रति माह आवंटन की प्रति संलग्न करें, जिसे राज्य सरकार के आवंटन अधिकारी या संबंधित तेल विपणन कंपनी के मंडल/टेरीटेरी/ क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा जारी किया जाए। संबंधित ओएमसी के साथ एसकेओ डीलरशिप करार की प्रति।

महत्वपूर्ण टिप्पणी :

1 **इस पूरे आवेदन के प्रयोजनार्थ एक विवाहित आवेदक की 'परिवार इकाई'** में स्वयं आवेदक, आवेदक की पत्नी/पति और अविवाहित पुत्र/पुत्री (पुत्रियां) शामिल होंगे, और अविवाहित आवेदक की परिवारिक इकाई में स्वयं आवेदक, आवेदक के माता–पिता और आवेदक के अविवाहित भाई/बहन (बहनें) शामिल होंगी।**

2 **आवेदक को आवेदन पत्र के विभिन्न मदों में उल्लिखित सभी जानकारियां देनी होगी। यदि चुना जाता है तो सत्यापन के समय आवेदक को आवेदन में दी गई जानकारी के समर्थन में सभी मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। सत्यापन के समय इन दस्तावेजों को मूल रूप में प्रस्तुत करने में असफल रहने पर चुने गए प्रत्याशी द्वारा एफवीसी से पहले जमा की गई रु. 20,000/– की राशि जब्त होने के साथ चयन रद्द हो जाएगा।**

3 **अगर किसी जगह पर आवेदक को ब्यौरा देने के लिए अतिरिक्त स्थान की आवश्यकता है तो अतिरिक्त पंक्ति या अतिरिक्त कागज जोड़कर ब्यौरा दिया जा सकता है। तथापि, ब्यौरा उसी प्रारूप में दिया जाए जैसा कि उस मद विशेष में उल्लेख किया गया है।**

परिशिष्ट–क

(नोटरी द्वारा सत्यापित शपथपत्र)

(अपेक्षित राशि के उपयुक्त गैर–न्यायिक स्टेम्प पेपर पर टाइप किया जाए)

मैं, ... पुत्र/पुत्री/पत्नी .... आयु .... वर्ष .... का निवासी एतद्द्वारा शपथपूर्वक पुष्टि और बयान करता हूं :

1. कि मैं एक भारतीय नागरिक हूँ और .... राज्य के (गांव का नाम), (ग्राम पंचायत***), (तहसील***), (जिला) का निवासी हूं।

2. कि मेरी जन्म तिथि है | दिन | दिन | – | माह | माह | – | वर्ष | वर्ष | वर्ष | वर्ष | (शब्दों में ....)

3. कि मैंने दसवीं या समकक्ष परीक्षा मान्यता प्राप्त बोर्ड से वर्ष में उत्तीर्ण की है वर्ष ☐☐☐☐

और

कि मैंने सीनियर सेकेंडरी अर्थात (10+2) सीबीएसई या समकक्ष परीक्षा वर्ष में उत्तीर्ण की है* वर्ष ☐☐☐☐

और

कि मैंने स्नातक परीक्षा वर्ष में उत्तीर्ण की है* वर्ष ☐☐☐☐

4. कि मैं अविवाहित हूं। कि मेरे पास, मेरे पिता, माता, अविवाहित भाई (भाइयों), अविवाहित बहन (बहनों) के पास किसी तेल कम्पनी की न तो डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप है और न ही रिटेल आउटलेट या एसकेओ–एलडीओ डीलरशिप या एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप या आरजीजीएलवी के लिए कोई आशय–पत्र है।

अथवा

कि मैं विवाहित हूं और मेरी पत्नी/पति का नाम .... है। कि मेरे पास मेरे पति/पत्नी, अविवाहित पुत्र (पुत्रों)/अविवाहित पुत्री (पुत्रियों) के पास किसी तेल कम्पनी की न तो डीलरशिप/ डिस्ट्रीब्यूटरशिप है और न ही रिटेल आउटलेट या एसकेओ–एलडीओ डीलरशिप या एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप या आरजीजीएलवी के लिए कोई आशय–पत्र है।

अथवा

कि मैं विधवा/विधुर हूं। कि मेरे पास, मेरे अविवाहित पुत्र (पुत्रों)/अविवाहित पुत्री (पुत्रियों) के पास किसी तेल कम्पनी की न तो डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप है और न ही रिटेल आउटलेट या एसकेओ–एलडीओ डीलरशिप या एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप या आरजीजीएलवी के लिए कोई आशय–पत्र है।

अथवा

कि मैं तलाकशुदा हूं। कि न तो मेरे पास, न ही मेरे अविवाहित पुत्र (पुत्रों)/अविवाहित पुत्री (पुत्रियों) (जिनकी संरक्षा मुझे दी गई है) के पास किसी तेल कम्पनी की न तो डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप है और न ही एसकेओ–एलडीओ डीलरशिप या एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप या आरजीजीएलवी के लिए कोई आशय–पत्र है।

5. मैं एतद्द्वारा पुष्टि करता हूं कि मेरे परिवार के कोई भी सदस्य (विज्ञापन के खंड 3 (ङ) में परिभाषित) तेल विपणन कंपनियों में कर्मचारी नहीं है।
6. कि मेरा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है।
7. कि किसी न्यायालय ने कभी भी किसी आपराधिक वारदात के लिए जिसमें नैतिक पतन और/या आर्थिक अपराध शामिल हैं (स्वतंत्रता संग्राम को छोड़कर) न ही मुझे दोषी करार दिया है, और न ही मेरे खिलाफ कभी आरोप तय किये गये हैं।
8. कि मैं एतद्द्वारा पुष्टि करता हूं कि मैं किसी तेल कम्पनी की ऐसी डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप करार पर कभी हस्ताक्षरकर्ता नहीं रहा हूं जो कदाचार सिद्ध होने पर और/या विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों के उपबंधों के उल्लंघन करने के लिए निरस्त कर दी गई थी।
9. **एसकेओ डीलरों की श्रेणी के तहत आवेदन करने हेतु आवेदकों के लिए :**

(क) कि मैं .... (ओ.एम.सी का नाम) की एस.के.ओ. डीलरशिप में (नाम व शैली)................ स्थान........ का एकमात्र स्वामी हूँ जो कि इस आरजीजीएलवी विज्ञापन के माह के तत्काल पहले के 12 माह के दौरान एस. के.ओ में प्रतिमाह 75 कि.ली. से कम के औसत आबंटन पर प्रचालित है।

(ख) कि मुझे विज्ञापन की तिथि से पूर्व पिछले 5 वर्षों के अंदर विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों के उल्लंघन के लिए कभी दंडित नहीं किया गया और/या मेरी डीलरशिप के खिलाफ विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों, डीलरशिप करार, कैरोसीन नियंत्रण आदेश या एस्मा के तहत कोई कार्रवाई लंबित नहीं है।

(ग) मुझे ज्ञात है कि यदि आरजीजीएलवी के लिए मेरा चयन हो जाता है तो आईओसी/ बीपीसी/ एचपीसी द्वारा एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में नियुक्त करने से पहले मुझे अपनी एसकेओ डीलरशिप अभ्यर्पित करनी होगी।

10. कि यदि आरजीजीएलवी दिए जाने के लिए मेरे आवेदन या आवेदन के समर्थन में मेरे द्वारा जमा करवाए किसी दस्तावेज अथवा इस शपथपत्र में मेरे द्वारा दी गई कोई सूचना/घोषणा असत्य, गलत या झूठ पाई गई तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड*/भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड*/हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड* को अपना आशय–पत्र वापस लेने/डिस्ट्रीब्यूटरशिप को निरस्त करने (यदि पहले ही नियुक्त कर दी गई है) का अधिकार होगा और कि ऐसी वापसी/निरस्तीकरण के लिए कॉर्पोरेशन के विरुद्ध मेरा कोई दावा नहीं होगा।

***जो लागू नहीं हो उसको काट दें।**

***** विज्ञापन में विनिर्देशित अनुसार संगत राजस्व/प्रशासनिक अवसरंचना दर्शायें।**

मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि उपरोल्लिखित मेरे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान के अनुसार सत्य एवं सही है और उसमें कुछ भी तथ्यपरक छिपाया नहीं गया है।

मेरे सामने शपथपूर्वक पुष्टि एवं घोषणा की गई

का .... दिन ....

....

मजिस्ट्रेट/न्यायाधीश/नोटरी पब्लिक के हस्ताक्षर एवं मोहर — **शपथपत्र देने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर (नाम स्पष्ट अक्षरों में)**

परिशिष्ट–ख

(नोटरीकृत शपथपत्र)

(अपेक्षित मूल्य के उपयुक्त गैर–न्यायिक स्टैम्प पेपर पर टाइप किया जाए)

(परिवार के सदस्य द्वारा दिया जाए जैसा कि पात्रता मापदंड में आवेदक को छोड़कर परिभाषित है)

मैं,.................................. पुत्र/पत्नी............................ आयु .... वर्ष .... का निवासी, एतद्द्वारा शपथपूर्वक पुष्टि एवं बयान करता हूं कि :

1. कि मैं अविवाहित हूं और मेरे पिता*/माता*/अविवाहित भाई*/अविवाहित बहन* (श्री/सुश्री) .... ने दिनांक ....के ....समाचार–पत्र में दिए गए विज्ञापन के अंतर्गत .... श्रेणी के तहत .... (स्थान) पर आईओसी*/बीपीसी*/एचपीसी* के आरजीजीएलवी के लिए आवेदन किया है।

या

कि मैं विवाहित हूं और मेरे अविवाहित पुत्र*/अविवाहित पुत्री*/विवाहित पुत्र*/विवाहित पुत्री*/पत्नी*/पति* /पोता*/पोती*/नाती*/नातिन* (श्री/सुश्री) ....ने दिनांक .... के .... समाचार–पत्र में दिए गए विज्ञापन के अंतर्गत .... श्रेणी के तहत .... (स्थान) पर आईओसी*/बीपीसी*/एचपीसी* के आरजीजीएलवी के लिए आवेदन किया है।

***जो लागू नहीं हो उसे काट दें।**

2. कि यदि उसका आरजीजीएलवी के लिए चयन हो जाता है तो मैं मद सं. 10 और 11 पर उल्लिखित राशि की सीमा तक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराऊंगा जो ....(स्थान) पर आईओसी*/ बीपीसी*/ एचपीसी* के आरजीजीएलवी के लिए (श्री/सुश्री) .... द्वारा जमा करवाए गए आवेदन में मेरे नाम के अंतर्गत है।
3. कि यदि उसका आरजीजीएलवी के लिए चयन हो जाता है तो मेरे नाम से मद सं. 9 पर विनिर्दिष्ट भूमि पर गोदाम/शोरूम का निर्माण करने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि उपरोल्लिखित मेरे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान के अनुसार सत्य एवं सही है और उसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

मेरे सामने शपथपूर्वक पुष्टि एवं घोषणा की गई

का .... दिन ....

मजिस्ट्रेट/न्यायाधीश/नोटरी पब्लिक के हस्ताक्षर एवं मोहर — **हस्ताक्षर अभिसाक्षी का नाम आवेदक के साथ संबंध**

परिशिष्ट–ग

मानक आवास प्रमाणपत्र

(जांच के समय चयनित अभ्यर्थी द्वारा दिया जाएगा)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ....पुत्र/पुत्री/ पत्नी .... वर्षों से .... (शहर/गांव का नाम), ..., ग्राम पंचायत*................, तहसील* ...., जिला, ... राज्य के निवासी हैं।

यह प्रमाणपत्र ....पर राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरक हेतु आवेदन करने के लिए जारी किया गया है।

दिनांक .... (...................................)

स्थान..................................

उप–तहसीलदार/तहसीलदार/ उप–मामलातदार/मामलातदार के हस्ताक्षर (कार्यालय का मुहर)

* विज्ञापन में विनिर्देशित जैसा लागू हो संगत राजस्व/प्रशासनिक अवसंरचना दर्शाई जाएं।

परिशिष्ट–घ

एससी/एसटी श्रेणी के प्रमाणपत्र के लिए मानक प्रारूप

टिप्पणी : अभ्यर्थी को, जो एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने का दावा करता है, अपने दावे के समर्थन में निम्नांकित प्रपत्र में मूल प्रमाणपत्र उसकी एक प्रति के साथ जमा करवाना होगा, जो भारत सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकारी # द्वारा किसी समय जारी किया गया हो, जिसे उस जिले की संबंधित राज्य सरकार द्वारा ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम के रूप में नामजद किया गया है, जिसमें आवेदक के माता–पिता (जीवित माता–पिता) सामान्यतः निवास करते हैं। यदि माता–पिता, दोनों का देहांत हो गया है तो प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी उस जिले का होना चाहिए जहां अभ्यर्थी, अपनी शिक्षा के प्रयोजन को छोड़कर, सामान्यतः निवास करता है। प्रमाणपत्र की असलियत के बारे में कोई संदेह होने पर उसकी जांच संबंधित जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त से कराई जा सकती है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियों द्वारा जमा करवाए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रारूप

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी*.................................पुत्र/पुत्री*.............................. निवासी गांव/शहर* .... जिला/प्रभाग* .... राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* .... के .... जाति/जनजाति के है और उनका धर्म .... है जो बाम्बे पुनर्गठन अधिनियम, 1960 और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1956* के साथ पठित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सूची (संशोधन) आदेश 1956* के अंतर्गत एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता–प्राप्त है।

भारतीय संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956*

भारतीय संविधान (अण्डमान एवं निकोबार द्वीप) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1956*

भारतीय संविधान (दादर एवं नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962*

भारतीय संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964*

भारतीय (अनुसूचित जनजाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967*

भारतीय संविधान (नागालैण्ड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970*

स्थान : .... **हस्ताक्षर :** ....

तिथि : .... **पद :** ....

(कार्यालय की मुहर के साथ)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र*

*कृपया जो शब्द लागू नहीं हो, उसे काट दें।

टिप्पणी : यहां प्रयुक्त पद "सामान्यतः निवास करता है" का वही अर्थ है जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा–20 में उल्लिखित है।

जाति/जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम अधिकारी

i जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त, उप कलेक्टर, प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट/नगर मजिस्ट्रेट*** उपमंडल मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यपालक मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त।

***(प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट के ओहदे से निम्नतर नहीं)

ii मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट।

iii राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार से निम्नतर ओहदे का नहीं हो।

iv उस क्षेत्र के उप मण्डल अधिकारी जहां अभ्यर्थी और/या उसका परिवार सामान्यतः निवास करता है।

v प्रशासनिक/प्रशासक का सचिव/विकास अधिकारी (लक्षद्वीप)।

परिशिष्ट–ङ

अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के प्रमाणपत्र के लिए मानक प्रारूप

टिप्पणी : अभ्यर्थी, जो अन्य पिछड़ा वर्ग में से एक से संबंधित होने का दावा करता है को अपने दावे के समर्थन में निम्नांकित प्रपत्र में मूल प्रमाणपत्र उसकी एक प्रति के साथ जमा करवाना होगा, जो भारत सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।

''अन्य पिछड़ा वर्ग'' के अभ्यर्थियों द्वारा जमा करवाए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी*..............................पुत्र/पुत्री*..........................निवासी गांव/शहर* .... जिला/प्रभाग* .... राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* ....के .... समुदाय में आते हैं जो कि पिछड़ा वर्ग के समुदाय के रूप में निम्नलिखित भारत सरकार (केन्द्र सरकार) द्वारा मान्यता प्राप्त है।

क्र. सं.	भारत सरकार (केन्द्र सरकार) द्वारा जारी संकल्प संख्या	भारत सरकार (केन्द्र सरकार) द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना की तिथि	संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

श्री/श्रीमती/कुमारी* ....और/या उनका परिवार सामान्यतः राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र* .... के जिला/प्रभाग* के .... गांव / कस्बे* .... के निवासी हैं।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त व्यक्ति भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के ओ.एम. संख्या 36012/22/93–ई.एस.टी.टी. (एससीटी) दिनांक 08.09.1993 जिसे भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के ओ.एम. संख्या 36033/1/2013 – ई.एस.टी.टी. (आरईएस) दिनांक 27.05.2013 व अन्य कोई अद्यतन संशोधन द्वारा संशोधित किया गया है, की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) में नहीं आते हैं।

स्थान : .... **हस्ताक्षर :** ....

तिथि : .... **पद :** ....

(कार्यालय की मुहर के साथ)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र*

*कृपया जो शब्द लागू नहीं हो, उसे काट दें।

टिप्पणी :

(क) यहां प्रयुक्त पद "सामान्यतः निवास करता है" का वही अर्थ है जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा–20 में उल्लिखित है।

(ख) अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए जाति प्रमाणपत्र जारी करने हेतु सक्षम प्राधिकारी निम्नानुसार हैं :

i जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/उप कलेक्टर/प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट/उप मण्डल मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यपालक मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त (प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट के ओहदे से निम्नतर नहीं)

ii मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट/ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट।

iii राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार से निम्नतर ओहदे का नहीं हो।

iv उस क्षेत्र के उप मण्डल अधिकारी जहां प्रत्याशी और/या उसका परिवार सामान्यतः निवास करता है।

(ग) प्रत्याशी की अन्य पिछड़ा वर्ग स्थिति के निर्धारण के लिए तथा यह भी निर्धारित करने के लिए कि प्रत्याशी क्रीमी लेयर में नहीं आता है, विज्ञापन या शुद्धिपत्र (यदि कोई हों) में दी गई सूचना में उल्लिखित आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को गणना के लिए माना जाएगा। प्रत्याशी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी उपरोक्त निर्दिष्ट प्रारूप में संगत अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाणपत्र जमा करना चाहिए।

परिशिष्ट–च

अन्य पिछड़ा वर्ग प्रत्याशियों के लिए नोटरी द्वारा प्रमाणित घोषणा/वचन पत्र

(अपेक्षित मूल्य के उपयुक्त गैर–न्यायिक स्टैम्प पेपर पर टाइप किया जाए)

मैं .... पुत्र / पुत्री / श्री .... राज्य / संघ राज्य क्षेत्र* .... के जिला .... के गांव / शहर /कस्बे .... का निवासी हूँ, एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि मैं .... समुदाय का हूं जिसे भारत सरकार द्वारा सेवाओं में आरक्षण के प्रयोजन से कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93– ई.एस.टी.टी. (एससीटी) दिनांक 08.09.1993 में निहित आदेश के अनुसार पिछड़े वर्ग के रूप में मान्यता दी गई है। यह भी घोषित किया जाता है कि मैं उपरोक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञापन सं. दिनांक 08.09.1993 की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं हूं, जिसे कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या ओ.एम. संख्या 36033/1/2013–ई.एस.टी.टी. (आरईएस) दिनांक 27.05.2013 व अन्य कोई अद्यतन संशोधन द्वारा संशोधित किया गया है।

(प्रत्याशी के हस्ताक्षर)

स्थान : ....

तिथि : ....

प्रत्याशी द्वारा घोषणा/वचन पत्र पर हस्ताक्षर नहीं होने से इसे अस्वीकार कर दिया जाएगा।

झूठी घोषणा करने पर आवेदक की उम्मीदवारी/आवेदन को किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है।

परिशिष्ट–छ

शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी के लिए प्रमाणपत्र हेतु मानक प्रपत्र

प्रमाणपत्र जारी करने वाले संस्थान/अस्पताल का नाम और पता

प्रमाणपत्र सं. ....

दिनांक

विकलांग व्यक्तियों के लिए प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... पत्नी/पुत्री/पुत्र श्री .... आयु ....पुरूष/स्त्री, पंजीकरण सं.................................. शारीरिक रूप से विकलांग/दृश्य विकलांग/वाक् एवं श्रव्य विकलांग हैं और उनके .... के संबंध में .... % (..........) स्थायी (शारीरिक विकलांगता/दृश्य विकलांगता/वाक् एवं श्रव्य विकलांगता) है।

टिप्पणी :

1. यह अवस्था प्रगतिशील/अप्रगतिशील/सुधार संभाव्य/सुधार असंभाव्य है।*
2. पुनर्मूल्यांकन असंस्तुत है/संस्तुत है....................माह/वर्ष की अवधि के बाद।

*जो लागू नहीं हो, उसे काट दें।

हस्ताक्षर (चिकित्सक) मुहर — हस्ताक्षर (चिकित्सक) मुहर — हस्ताक्षर (चिकित्सक) मुहर

रोगी के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

चिकित्सा अधीक्षक/सीएमओ/

अस्पताल के प्रमुख द्वारा प्रति हस्ताक्षरित (मुहर के साथ)

यहां विकलांगता को दर्शाने वाला हाल ही में

खींचा गया अनुप्रमाणित फोटोग्राफ चिपकाएं।

परिशिष्ट–ज

अर्धसैनिक बल/पुलिस/सरकारी कर्मचारी श्रेणी के लिए मानक प्रारूप

प्रमाणपत्र जारी करने वाले संगठन/सरकारी कार्यालय के आधिकारिक लेटर हेड पर कार्यालय प्रमुख या ऐसे अधिकारी जिसका रैंक सरकार के अवर सचिव से निम्नतर नहीं हो, द्वारा जारी किया जाएगा।

संदर्भ सं.

दिनांक

अर्धसैनिक बल/पुलिस/सरकारी कर्मचारी श्रेणी के लिए पात्रता प्रमाणपत्र

i. # यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री .... हमारे कार्यालय .... में ....पद पर कार्य कर रहे थे और .... (स्थान का नाम) पर दिनांक .... को उनका निधन हो गया। श्री/सुश्री .... की .... के दौरान असाधारण बलिदान को मान्यता देते हुए .... (शौर्य पुरस्कार का नाम) से सम्मानित किया गया।

श्री/सुश्री (आवेदक का नाम), ... (संबंध) .... हमारे अभिलेखों के अनुसार श्री/सुश्री .... के आश्रित थे।

या

ii. # यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती .... हमारे कार्यालय .... में .... के पद पर कार्यरत थे जिनका .... (स्थान का नाम) पर कार्य निर्वहन करते हुए दिनांक .... को उनका निधन हो गया।

श्री / सुश्री (आवेदक का नाम), ... (संबंध) .... हमारे अभिलेखों के अनुसार श्री/सुश्री .... के आश्रित थे।

या

iii. # यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री / सुश्री (आवेदक का नाम), ... हमारे .... संगठन में कार्यरत थे और वे .... (स्थान) पर कार्यरत रहते हुए .... (तिथि) को विकलांग हो गए।

या

iv. # यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती, ... हमारे संगठन में .... के पद पर कार्यरत थे और .... (स्थान) पर कार्यरत रहते हुए .... (तिथि) को उनका निधन हो गया।

हमारे अभिलेखों के अनुसार श्री/सुश्री (आवेदक का नाम) .... (संबंध)................ श्री/सुश्री .... के आश्रित थे।

या

v. # यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री / सुश्री .... हमारे संगठन ....में कार्यरत थे और वे कार्यरत रहते हुए शान्ति काल में .... (तिथि) को आरोप्य कारणों से विकलांग हो गए।

यदि लागू नहीं है तो हटा दें।

आवेदक के अनुप्रमाणित हस्ताक्षर

स्थान : .... **हस्ताक्षर :** ....

तिथि : .... **नाम :** ....

पद : ....

(कार्यालय की मुहर)

परिशिष्ट–झ

भूमि के प्रस्ताव के लिए आवेदक/पारिवारिक इकाई के सदस्यों/माता –पिता/आवेदक के नाना–नानी – दादा–दादी तथा तीसरे पक्ष से नोटरीकृत शपथ पत्र – भूमि के सभी संयुक्त स्वामियों (आवेदक के अलावा) जिसमें आवेदक के पारिवारिक इकाई के सदस्यों/माता–पिता/नाना–नानी – दादा–दादी शामिल हैं, को अपनी ओर से यह व्यक्तिगत शपथ पत्र जमा करना होगा।

(अपेक्षित मूल्य के उपयुक्त गैर–न्यायिक स्टैम्प पेपर पर टाइप किया जाए)

मैं,..................................... पुत्र/पुत्री/पत्नी .... आयु .... वर्ष .... का निवासी, एतद्द्वारा शपथपूर्वक पुष्टि एवं बयान करता हूं कि :

1. *कि मैं, श्री / श्रीमती .... राज्य .... के जिला .... के .... (गांव / कस्बा).................... तहसील में संयुक्त रूप से इस भूखंड का स्वामी हूं जिसका गाटा / खसरा / सर्वेक्षण संख्या .... है और जिसका मापन क्षेत्रफल निम्नलिखित विवरणों के अनुसार .... वर्ग मीटर है (माप .... मीटर X .... मीटर) :

संयुक्त स्वामियों के नाम	पंजीकृत विक्रय विलेख की तिथि/उपहार विलेख/ दाखिल खारिज की तिथि	खसरा सं. / गाटा सं./ सर्वेक्षण सं.	सीमांकित योजना के अनुसार प्रस्तावित भूमि का माप (मी.xमी. में)

2. कि श्री / श्रीमती .... ने दिनांक .... के समाचार–पत्र .... में दिए गए विज्ञापन के अंतर्गत .... श्रेणी के तहत .... (स्थान) पर आईओसी*/बीपीसी*/एचपीसी* के आरजीजीएलवी के लिए आवेदन किया है।
3. कि यदि उसका आरजीजीएलवी के लिए चयन हो जाता है तो मैं पुष्टि करता हूँ कि उपरोक्त स्थान पर भूमि के स्थल चित्र पर संलग्न सीमांकित भूमि का माप पर एलपीजी गोदाम (ओएमसी द्वारा वांछित) के निर्माण के लिए मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि उपरोल्लिखित मेरे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान के अनुसार सत्य एवं सही है और उसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

मैं यह भी पुष्टि करता हूं कि मैंने उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का यह खंड किसी अन्य व्यक्ति को प्रस्तावित नहीं किया है।

मेरे सामने शपथपूर्वक पुष्टि एवं घोषणा की गई।

.... दिन.................................(माह) .... (वर्ष)

मजिस्ट्रेट / न्यायाधीश /नोटरी पब्लिक के हस्ताक्षर एवं मुहर — **हस्ताक्षर अभिसाक्षी के हस्ताक्षर**